सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए दो बार कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से सन्मानित
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 'स्वच्छ कॅम्पस रॅंकिंग' २०१९' मानांकन प्राप्त

ज्ञानगंगा घरोघरी

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

नॅक मानांकन 'अ' श्रेणी

www.ycmou.ac.in

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

हिंदी (M85)

स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) शिक्षा क्रम

(राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति, २०२० के अनुसार)

प्रथम वर्ष शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र - जनवरी २०२५



विश्वविद्यालय गीत

एक प्रतिज्ञा असे आमुची ज्ञानाची साधना ।
चिरंतन ज्ञानाची साधना ।
ज्ञान हेच संजीवन साऱ्या जगताच्या जीवना ॥ धृ ॥

ज्योत जागवू सुजाणतेची सकलांच्या अंतरी ।
तीच निवारील पटल तमाचे प्रभात सूर्यापरी ।
ज्ञानच देउळ, ज्ञानच दैवत, प्रगतीच्या पूजना ॥ १ ॥

नव्या युगाचा नव्या जगाचा ज्ञान धर्म आहे ।
त्यातच अमुच्या उजळ उद्याचे आश्वासन राहे ।
मुक्त करिल तो परंपरेच्या बंदिघरातुन मना ॥ २ ॥

हाच मंत्र नेईल आम्हाला दिव्य भविष्याकडे ।
न्यायनीतीचे पाऊल जिथे भेदाशी ना अडे ।
जे जे मंगल पावन त्याची जेथे आराधना ॥ ३॥

कुसुमाग्रज

निर्मिती

प्रा. नागार्जुन वाडेकर
संचालक, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - ४२२ २२२

निर्मिती सहाय्य एवं हिंदी अनुवाद

डॉ. पन्नालाल धुर्वे
शैक्षणिक संयोजक (हिंदी), मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक -४२२ २२२

©२०२४ यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक

- प्रथम प्रकाशन : दिसंबर, २०२४
- अक्षरजुळणी : गुलाब घाटाळ, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय,
- प्रकाशक : दिलीप भरड, कुलसचिव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक - ४२२ २२२

हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) शिक्षाक्रम (M85) : शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका
शैक्षणिक सत्र - जनवरी २०२५

अनुक्रमणिका

०१.मुक्त विश्वविद्यालय का परिचय

१.१ मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य

०२.संकाय की परिचय

२.१ संकाय के उद्देश्य

२.२ संकाय की विशेषताएँ

०३.अध्ययन पद्धति

३.१ श्रेयांक

३.२ अध्ययन सामग्री

०४. शिक्षाक्रम के संदर्भ में

४.१ शिक्षाक्रम प्रारूप

४.२ शिक्षाक्रम के उद्देश्य एवं परिणाम

०५. शिक्षाक्रम संरचना

५.१ प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम (प्रवेश पात्रता, अवधि, माध्यम, शिक्षाक्रम शुल्क)

०६. मूल्यांकन पद्धति

६.१ प्रथम वर्ष मूल्यांकन पद्धति (अंतर्गत/ सत्रांत क्षेत्रीय परियोजना)

६.२ गृहकार्य ऑनलाईन अपलोड करने के संदर्भ में सूचना

०७. पंजीकरण /प्रवेश प्रक्रियाँ

०८. छात्रवृत्ति योजना लागु विश्वविद्यालय के शिक्षाक्रम

०९. ABC- ID/ APPAR-ID औरDEB-ID तैयार करने के संबंध में सूचना

१०. विशेष सूचना / संपर्क के लिए

११. क्षेत्रीय केंद्र

१२. अनिवार्य ऑडिट कोर्स साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी

१३. परिशिष्ट

परिशिष्ट ०१: उमेदवार / छात्र करारनामा (हिंदी और अँग्रेजी)

परिशिष्ट ०२ : गरीब विद्यार्थी सहायता योजना नियम

परिशिष्ट ०३ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (युजीसी) मान्यता पत्र (२००४)

परिशिष्ट ०४ : मुक्त विश्वविद्यालय की उपाधि और पदविका समकक्ष और सरकार मान्यता के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की निर्णय

परिशिष्ट ०५ : पूर्वतैयारी के बाद उपाधि प्राप्त करने के पश्चात१०वी / १२वी समकक्ष के संदर्भ में सरकार निर्णय

परिशिष्ट ०६ : एक से अधिक शिक्षाक्रम में प्रवेश हेतू दूरस्थ शिक्षा मंडल का मान्यता पत्र

परिशिष्ट ०७ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (युजीसी) 12-B मान्यता पत्र

परिशिष्ट ०८ : छात्र सहायता और छात्र कल्याण योजना

परिशिष्ट ०९ : अनिवार्य ऑडीट कोर्स सायबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी (मराठी)

परिशिष्ट १० : सायबर सुरक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (यु.जी.सी.) पत्र

परिशिष्ट ११ : शिक्षाक्रम समय-सारणी (TimeTable)

०१. मुक्त विश्वविद्यालय का परिचय

मुक्त विश्वविद्यालय यह अवधारणा नई है, इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। विभिन्न कारणों से अनेक लोगों को शिक्षा बीच में ही छोड़ना पड़ा हैऔर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं की आभाव के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और नौकरियों तथा व्यवसायों के कारण आगे शिक्षा की इच्छा होते हुए भी नहीं कर पता उनके लिए उच्च शिक्षा के सुअवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुक्त विश्वविद्यालय क्रियात्मक हो गए हैं। 1969 में विश्व का पहला मुक्त विश्वविद्यालय इंग्लैंड में स्थापित किया गया। इसके बाद चीन, जपान, कॅनडा, थायलंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे अनेक देशों में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित होकर विविध शिक्षाक्रम में समाज के इच्छित लोगों को अवसर दिए जा रहे हैं। भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय 1982 को हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) में स्थापित किया गया है। सन 1985 में केंद्र सरकार नेदिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद क्रमश: राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, तामिलनाडू, छत्तीसगढ, आसाम, उत्तराखंड, ओडीसा, पंजाब और केरल आदि राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो गया ।

महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन लाने में अनेक महान विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। जिसमें महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, स्वामी रामानंद तीर्थ आदि महान व्यक्तियों का अमूल्य योगदान है। उनकी कार्य को आगे बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा गाँवों तक पहुँचाने का लक्ष्य साकार करने हेतु महाराष्ट्र में अन्य विश्वविद्यालयों की तरह 1 जुलाई 1989 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधिमंडल क्रमांक XX (1989) के तहत मुक्त विद्यापीठ की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक महाराष्ट्र के जननायक यशवंतराव चव्हाण के नाम से स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय भारत का पाँचवा और महाराष्ट्र का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय का मुख्यालय नाशिक शहर में स्थित है। विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ८ विभागीय केंद्रों के माध्यम से महाराष्ट्र में २४०० से अधिक अध्ययन सहाय्यता केंद्र (अध्ययनकेंद्र) से जुड़े हुए हैं। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम 12(बी) के तहत मान्यता दी गई है। महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ और यूजीसी ने विश्वविद्यालय को विभिन्न प्रमाणपत्र,पदविका, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध शिक्षा के लिए अनुमति दी है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय ने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग किया है और सदस्य भी है। विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार से दो बार सम्मानित किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने नॅक मानांकन 'अ' श्रेणी प्राप्त की है।

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय देश के सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के समकक्ष हैं। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, निजी संस्थानों, और विविधमंडलों में नौकरी, नौकरी में बढ़ती प्राप्त करने और आगे की शिक्षा हेतु इस विश्वविद्यालय का शिक्षाक्रम उपयोगी होगी। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के समकक्ष है। महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग ने पहले ही यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग की परीक्षा के लिए पात्र माना है। विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थी राज्य और केंद्रीय लोकसेवा आयोग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं।

महाराष्ट्र राज्य एवं राष्ट्र के विकास में सुसंगत और समन्वित रूप से विभिन्न शिक्षाक्रमों को उपलब्ध कराने हेतु इस मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य रहा है। तकनीकी विज्ञान और उससे संबधित जीवन पद्धतियों के बदलते संदर्भ में समाज को ज्ञानमय शिक्षाक्रम विकसित करना मुक्त शिक्षा पद्धति का लक्ष्य रहा है। इसलिए, जीवनभर शिक्षा', 'काम करते-करते शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में पूरक और कौशल आधारित शिक्षा आदि संकल्पना को प्रत्यक्ष रूप में लाकर अध्ययनशील समाज के विकास में विश्वविद्यालय का सहयोग रहा है।

"ज्ञानगंगा घर-घर" यह विश्वविद्यालय का ब्रीदवाक्य (Motto) है और यह 'लोकविश्वविद्यालय' बनने की दिशा में अग्रसर है। समाज के वंचित तबके / समूह और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक शिक्षा पहुँचाना विश्वविद्यालय का मुख्य लक्ष्य रहा है। मुख्यालय, विभागीय केंद्र, जिला केंद्र, अध्ययन सहायता केंद्र, के माध्यम से विश्वविद्यालय विविध शिक्षाक्रम ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्र तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कर लोगभाषा को ज्ञानभाषा का दर्जा प्राप्त कर देना यह विश्वविद्यालय का प्रयास है। इस तरह यशवंतराव चव्हाण के शैक्षणिक दर्शनशास्त्र के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है।

१.१ मुक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्य

१. समाज के आर्थिक दुर्बल स्तर तक 'ज्ञानगंगा' पहुँचाकर, शहर, ग्रामीण, पिछड़ा क्षेत्र के परिश्रमी, गृहिणी एवं अन्य वयस्कों की आवश्यकताओं को पहचानकर समान्य स्तर/सर्वसाधारण स्नातक शिक्षा, व्यावसायिक, तांत्रिक व अन्य शिक्षा-प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर, समाज के विविध स्तर के लोगों की ज्ञानात्मक विषमता को दूर करना या माध्यम के रूप में कार्य करना।

२. सभी स्तर के जो सीखना चाहते हैं, उन्हें उम्र, अवधि, और पात्रता नियमों की बाधाओं को दूरकर आसानी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लचीली और क्रियात्मक मुक्त शिक्षा प्रणाली का समावेश करना।

३. पारंपरिक विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी न कर पाए उम्मीदवारों को प्राप्त शैक्षिक शिक्षा के आधार पर मुक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षाक्रम में प्रवेश देकर शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना।

४. औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कलाओं और कौशल विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, शैक्षिक विस्तार सेवाओं की गतिविधियों के माध्यम से, बदलते तंत्रज्ञान के अनुकूल नए तंत्रज्ञान में वयस्कों को प्रशिक्षित करना साथ ही भारत और विशेष रूप से महाराष्ट्र के कला, परंपरा सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को संरक्षित कर बढ़ावा देना, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम विकसित करना।

५. केवल सरकारी अनुदान पर सीमित न रहकर अपना प्रशासनिक खर्चा के लिए आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देकर होकर, निजी और सामाजिक संस्थाओं के साथ वित्तीय सहयोग प्राप्त करना और आधुनिक उपकरण (संगणक) का प्रभावी उपयोग कर कम दामों में गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली विकसित करना।

०२. संकाय का परिचय

मानविकी और सामाजिक विज्ञान संकाय में मानवीय मूल्यों के साथ मानवनिर्मित कला, भाषा, साहित्य, सर्जनशीलता तथा पारिवारिक संस्थान, राज्य संस्थान और वित्तीय संस्थान की संरचना दर्शन, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए बौद्धिक तैयारी करना और अध्ययनशील समाज के लिए शैक्षिक संसाधनों का विकास करना इस संकाय का उद्देश्य है। व्यक्ति विकास पर जोर देना, व्यक्ति का समग्र विकास के लिए सहायक भूमिका के रूप में संकाय के पाठ्यक्रम अपना योगदान दे रहे हैं।

२.१ संकाय के उद्देश्य

१. छात्र केंद्रित शिक्षाक्रम विकसित करना।

२. मुक्त शिक्षा प्रणाली के अनुसार लचीली अध्ययन और अध्यापन पद्धतियों का अनुपालन करना।

३. जिस समाज में शिक्षा अभी नहीं पहुँचा। ऐसे वंचित घटकों तक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

४. छात्रों को मानविकी व सामाजिक विज्ञान संकाय के ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

५. नवज्ञानाधारित समाज की निर्माण में योगदान देना।

६. दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जनसामान्य तकजाकर / पहुँचकर लोगों के लिए विश्वविद्यालय का निर्माण करना।

२.२ संकाय की विशेषताएँ

१. विश्व की विविध संस्कृतियों, राष्ट्र-राज्य के विकासात्मक परंपराओं का इतिहास आदि का प्रमाणपत्र, पदविका, स्नातक, स्नातकोत्तर, और पीएच.डी. शिक्षाक्रम का समावेश।

२. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, मानवीय अधिकार आदि मूल्येसहित पर्यावरणरक्षणादी आंदोलन, मानवी विकास निर्देशक, शाश्वत विकास की उद्देश्य आदि वैश्विक कल्याणकारी संघटन कार्यायों का समावेश।

३. महिला सशक्तिकरण, वंचितों की अस्मिता लढाई, भाषा, धर्म, प्रदेश के विविध में एकता के लिए बनाएं गए चार्ट और उदाहरणों का समावेश।

४. वैश्वीकरण और स्थानीय विकास की समायोजन कर विविध आशय का पाठ्यक्रम में समावेश।

५. ग्रंथालय व सूचनाशास्त्र, जनसंचार व जनसंज्ञापन, गांधी विचारदर्शन, मानवी अधिकार, ग्राहक संरक्षण ऐसे विशेष विषय के अनुसार स्वतंत्र शिक्षाक्रम।

६. सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने वाले अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम।

७. व्यक्ति की सर्जनशीलता एवं कल्पनशीलता को प्रोत्साहित करने करनेवाले अपारंपरिक पाठ्यक्रम।

८. व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक सफलता प्राप्ति के लिए पूरक कौशल को बढ़ावा देनेवाला पाठ्यक्रम।

९. स्वयं-अध्ययन हेतु नवीनता से परिपूर्ण शिक्षा।

१०. मूलभूत पाठ्यक्रम में विविध संकल्पनाओं पर स्पष्टीकरण देने में जोर दिया गया है।

११. स्वयं-अध्ययन पुस्तकें, गृहपाठ, क्षेत्रीय कार्य, परियोजना अध्ययन, और वेब के माध्यम से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और अकादमिक सहायता।

१२. प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुरूप विषय चयन करने की सुविधाएँ दी गई।

०३. अध्ययन पद्धति

जिन छात्रों को रोज महाविद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं सकते या अध्ययन के लिए पूरा समय नहीं देना संभव नहीं है। ऐसे छात्रों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन पद्धति का विकसित की है। इसमें निम्न बिंदुओं का समावेश है।

- स्वंय-अध्ययन आधारित पाठ्यपुस्तके, विषय विद्वान् प्राध्यापकों का संपर्क के अनुसार मार्गदर्शन
- अध्ययन अवधि में मूल्यांकन की सुविधा,आवश्यकता के अनुसार प्रक्टिकल करने का सुअवसर

अध्ययन में पद्धति छात्रों को केवल पाठ्यक्रम का विवरण न देते हुए उस पर अध्ययन पुस्तकों का सामग्री भी दिया जाता है। यह अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपीज विश्वविद्यालय की वेबसाइड www.ycmou.ac.in अथवा http://ycmou.digitaluniversity.ac पर उपलब्ध है। छात्रों को इसका उपयोग करना है। यह स्वंय अध्ययन पुस्तके अन्य पुस्तकों की अपेक्षा से अलग पद्धति से लिखा गया है।

पुस्तकों में दी गई घटक एक ही बार में समझ सके इस तरह, विषय की छोटी-छोटी इकाई में विभाजन किया गया है। आलेख, चित्र आदि का सहायता से विषय की सुबोध, स्पष्ट और सुंदर रूप से रचना की है। छात्रों का अध्ययन पद्धति सुलभ रूप से हो, इस दृष्टि से पुस्तकों की छपाई की गई है। पुस्तक की प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों ओर खाली जगह दी गई है. ताकि छात्र अपनी छात्र अपनी शंका, टिप्पण या जिज्ञासा लिख सके। अध्ययन विषय पढ़ते वक्त शंका और टिपण की उसे मदद हो सकता है, इसके अलावा पाठ्यक्रम के नीचे कुछ प्रश्नं दिए गए हैं। छात्र इकाई पढ़ने के बाद उसे वह इकाई कितना समझ पाया इसका स्वयं आकलन प्रश्न उत्तर के माध्यम से कर सकते है। छात्र ने कुछ प्रश्न हल नहीं कर पाया तो वह दुबारा तुरंत उस प्रश्न का उत्तर पुस्तक में ढूंढना है। इतना करने के बाद भी अगर कुछ प्रश्न के उत्तर हल नहीं कर पाया तो, छात्र सहायता केंद्रपर संपर्क सत्र में विषय मार्गदर्शक/प्राध्यापक (समंत्रक - Counsellar) से चर्चा कर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की प्रयास करें।

अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सामान्यत: छुट्टी के दिन संपर्कसत्र लिया जाता है, संपर्क सत्र में संबंधित विषय के विद्वान्, मार्गदर्शक (प्राध्यापक) छात्रों को मार्गदर्शन करते हैं। संपर्क सत्र केवल व्याख्यान के स्वरूप में न होकर मार्गदर्शक के माध्यम से छात्रों का शंकाओं का समाधान किया जाता है। छात्रों को परिसंवाद में सहभाग होकर विषय जिज्ञासा और अंतर्गत मूल्यांकन के अपनी प्रगति के संबंध में जानकारी हासिल करें, इसलिए छात्र को संपर्क सत्र में उपस्थित रहना आवश्यक हैं।

छात्रो ने उपर्युक्त सभी अध्ययन सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर, स्वंय की अध्ययन पद्धति निर्माण करें। अध्ययन के लिए उपलब्ध समय का नियोजन करें। केवल पाठांतर अध्ययन पर जोर न देकर विषय की सुस्पष्ट ज्ञान को समझने की प्रयास करें। ज्ञान का सही समय में उपयोग करना यह ही अच्छी अध्ययन पद्धति का स्वरूप हैं, इसलिए छात्रों ने प्रक्टिकल तथा अभ्यास पर अधिक जोर देना आवश्यक है।

३.१ श्रेयांक

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अध्ययन घंटों को 'श्रेयांक' (Credit) के रूप में मापा जाता है। लगभग 30-35 अध्ययन घंटों का एक श्रेयांक' (Credit) के बराबर माना जाता है। अध्ययनार्थी को एक श्रेयांक' (Credit) का अध्ययन करने के लिए 30-35 घंटे लगते हैं। अध्ययन घंटों में स्वयं अध्ययन, पुस्तकें पढना, नोट्स लेना, ध्यान करना, पाठ्यक्रम के ऑडिओ-विजुअल टेप देखना, इंटरनेट पर लिखित सामग्री पढ़ना, विषय विद्वान से मार्गदर्शन लेना, सहपाठियों के साथ चर्चा करना, पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना आदि शैक्षणिक प्रयास शामिल हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति, २०२० के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए कुल ८८ श्रेयांक' (Credit) के पाठ्यक्रम पुरा करना अनिवार्य है।

३.२ अध्ययन सामग्री

राष्ट्रीय शैक्षणिक,२०२०के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम के अध्ययन सामग्री देश विशेषज्ञ विद्वान के सहयोग से विकसित की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रित पुस्तकों का अध्ययनकेंद्र /छात्र सहायता केंद्र पर जब तक प्राप्त न होगे तब तक छात्रों ने *http://ycmou.digitaluniversity.ac* और www.ycmou.ac.in वेबसाइट पर .pdf स्वरूप में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन करें।

❖ दृक-श्राव्य साहित्य

विश्वविद्यालय ने अनुपूरक अध्ययन के रूप में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा दृकश्राव्य साहित्य (Videos) निर्माण की है। सभी व्हिडीओ https://avc.ycmou.ac.in/self_learning_material/video इस वेबसाईट पर उपलब्ध है। छात्रों ने इसका उपयोग करें।

०४. शिक्षाक्रम के संबंध में

स्नातक उपाधि पूर्ण अध्ययनार्थी छात्र के लिए उच्च शिक्षा के लिए आगे की अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए संकाय द्वारा विविध स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम विकसित की गई है और समाज के अन्य वर्गों द्वारा लगातार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की माँग थी। साथ ही हिंदी में रोजगार की अवसर को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति २०२० के अनुसार हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) शिक्षाक्रम शुरू की गई है।

समय के अनुसार हिंदी विषय में रोजगार, व्यवसायिक में विविध आवश्यक कौशल प्राप्त होने के उद्धेश्य से इस शिक्षाक्रम की रचना की गई। तात्विक एवं उपयोगी दोनों की दृष्टि से शिक्षाक्रम के पाठ्यक्रम अध्ययनार्थी को उनके आगे की भविष्य में उपयोगी

सिद्ध हो इस हेतु से पाठ्यक्रम की रचना की है। एम.ए. हिंदी शिक्षाक्रम में हिंदी साहित्य के विविध आयाम हैं, जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य के गहन अध्ययन का अवसर मिलेगा।

एम.ए. हिंदी करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में अध्यापक, पत्रकारिता, अनुवादक, लेखक, बैंक में राजभाषा अधिकारी, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थान में कनिष्ठ अनुवादक एवं हिंदी अधिकारी के रूप में नौकरी और अनुसंधान की सभावानाएँ आदि अनेक क्षेत्रों में रोजगार का सुअवसर उपलब्ध होगे। हिंदी साहित्य की अध्ययन करने से केवल भाषा की बारीकियों की समझ नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज का गहरा ज्ञान प्राप्त होगा। एम.ए. हिंदी शिक्षाक्रम पूर्ण करने के बाद पी.एच.डी.और अन्य शोध कार्यों के लिए विविध रास्ते खुलेगे, जिससे छात्र को शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में योगदान देने का मौका मिलेगा।लिखित और मौखिक कौशल में सुधार होगा। मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से यह विषय महाराष्ट्र भर अध्ययन हो, इसलिए हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) शिक्षाक्रम शुरू की गई है। द्वितीय सत्र में क्षेत्रीय परियोजना कार्य करना अनिवार्य है। तृतीय और चतुर्थ सत्र में शोध परियोजना करना अनिवार्य है। इसके लिए निम्न कोष्टक की अवलोकन करें।

४.१ शिक्षाक्रम प्रारूप

राष्ट्रीयशैक्षणिक नीति, २०२० के अनुसार हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम (M85) प्रारूप निम्नलिखित है।

वर्ष	सत्र	पाठ्यक्रम		श्रेयांक
		अनिवार्य	वैकल्पिक	
प्रथम	प्रथम	०५	०१	२२
	द्वितीय	०५	०१	२२
द्वितीय	तृतीय	०५	०१	२२
	चतुर्थ	०४	०१	२२
कुल		२३		८८

४.२ शिक्षाक्रम के उद्देश और अपेक्षित परिणाम

➢ शिक्षाक्रम का उद्देश

१. हिंदी साहित्य के विविध कलाओं का प्रवृत्तिगत अध्ययन करना।
२. हिंदी साहित्य के वर्गीकरण की आधार का अध्ययन करना।
३. साहित्य की विविध विधाओं को समझना और विश्लेषण करना।
४. लोकसाहित्य के क्षेत्र में शोध करना और उसके मुख्य पहलुओं का अध्ययन करना।
५. संवाद कौशल और प्रस्तुति कौशल को विकसित करना।
६. हिंदी भाषा का विशिष्ट ज्ञान और लेखन कौशल प्राप्त करना।
७. आलोचनात्मक सोच विकसित करना।
८. साहित्यिक कलाओं का विश्लेषण करना।
९. अनुसंधानात्मक योग्यता को विकसित करना।
१०. रोजगार के लिए आवश्यक क्षमताओं को विकसित करना।

➢ शिक्षाक्रम की अपेक्षित अधिगम परिणाम

१. हिंदी साहित्य की विभिन्न कलाओं के प्रवृत्तिगत अध्ययन से विभिन्न साहित्यिक कलाओं को समझाने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होगी।
२. हिंदी साहित्य के वर्गीकरण की आधार साहित्यिक युगों, और धाराओं को समझने और उसकी पहचान करने में सक्षम हो।

३. साहित्य की विविध विधाओं का स्वरूपात्मक ज्ञान प्राप्त कर छात्रों में साहित्यिक रूपों और उसकी विशेषताओं की पहचान करने की क्षमता विकसित होगी।
४. लोकसाहित्य के क्षेत्र में शोधकार्य करने से छात्र शोध की मूलभूत विधियों से परिचित होंगे।
५. प्रमुख साहित्यकारों और उनके साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन करने से छात्रों में साहित्यिक समझ में वृद्धि होगी।
६. संवाद कौशलऔर प्रस्तुति कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षित होंगे।
७. आलोचनात्मक सोच विकसित होकर छात्रों में साहित्यिक और गैर-साहित्यिक विषयों के बारे में गहराई से सोचने और उन्हें आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझने की क्षमता विकसित होगी।
८. छात्र साहित्यिक कलाओं की विभिन्न धाराओं, शैलियाँ, और कला-संगीत के संदर्भ में समझ विकसित करेंगे।
९. शोध के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा, जिससे वे नवीन ज्ञान की खोज और उसमें योगदान कर सकेंगे।
१०. छात्र विभिन्न व्यावसायिक कौशल विकसित करेंगे जो उन्हें रोजगार प्राप्त करने और उसमें सफल होने में मदद करेंगे।

०५. शिक्षाक्रम संरचना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०के अनुसार, हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) हिंदी (M85) का शिक्षाक्रम ८८ श्रेयांक (Credit) का है। यह शिक्षाक्रम सत्र प्रणाली के आधार पर होगा, इसमें १९ अनिवार्य और ४ वैकल्पिक पाठ्यक्रम का समावेश किया गया हैं। इसके साथ शोध प्रविधि, क्षेत्रीय परियोजना और शोध परियोजना जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल हैं।
हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) हिंदी (M85) का शिक्षाक्रम के प्रथम वर्ष में छात्राओं को ४४ श्रेयांक (Credit) का पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा करने पर छात्रों को शिक्षाक्रम से बाहर निकलने का विकल्प (Exit Option) रहेगा। इस स्थिति में छात्रों को हिंदी विषय में स्नातकोत्तर पदविका (Diploma) प्रदान की जाएगी। और दोनों वर्ष के ८८ श्रेयांक (Credit) का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद छात्रों को स्नातकोत्तर उपाधि (Degree) प्रदान की जाएगी।

५.१ प्रथम वर्ष

५.१.१. प्रवेश पात्रता (Eligibility Criterion)

एम.ए. हिंदी शिक्षाक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए निम्नलिखित पात्रता होना अनिवार्य है।
Fulfilling the following Eligibility Criterion for enrolling into the First Year of M.A. HIndi Degree Program is essential.

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो।
  Successful completion of any bachelor degree Program from any recognised University.

५.१.२ शिक्षाक्रम अवधि

UGC Notification of Specification of Degrees, 2014 और UGC (ODL Programmes & OLProgrammes) Regulations, 2020 **अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि (एम. ए.) शिक्षाक्रम दो वर्ष का होने के बावजूद, उसे चार वर्षों तक पूरा करने की सुविधाएँ दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपर्युक्त नियम के अनुसार पंजीकरण अवधि समाप्त होने पर पुन: पंजीकरण नहीं कर सकता है. ऐसे स्थिति में छात्रों को संबंधित शिक्षाक्रम में नए से प्रवेश लेना पडेगा।**

दूरस्थ शिक्षा पद्धति में छात्र काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए अध्ययन-अवधि के संबंध में लचीलेपन की नीति अपनाई गई है। यदि प्रवेश वर्ष में किसी कारणवंश अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाया, ऐसे में उस वर्ष के अंत में होने वाली

परीक्षा देना आवश्यक नहीं है। छात्र अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा दे सकता है, वर्ष में दो बार परीक्षा देने का अवसर मिलता है। यहां तक कि अगर आप पहले या दूसरे वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो छात्रों को तीसरे वर्ष में प्रवेश करने का मौका मिलता है, लेकिन विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार, छात्र परीक्षा आवेदन (form) भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते। मुद्रित अध्ययन सामग्री पुन: पंजीकरण अवधि के दौरान उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन विश्वविद्यालय की वेबसाईटपर .pdf प्रारूप उपलब्ध होगी। छात्र इसकी सहायता से अध्ययन कर परीक्षा दे सकते हैं। प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर भी छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार छात्र को परीक्षा आवेदन भरकर परीक्षा दे सकता है।

५.१.३ माध्यम

सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकें, पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन, गृहकार्य, कक्षा में पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और अंतिम परीक्षा के प्रश्नपत्र हिंदी भाषा में ही उपलब्ध होंगे।

५.१.४ शिक्षणक्रम शुल्क

अ.क्र.	शुल्क विवरण	शुल्क रुपये
१.	शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका शुल्क	५०.००
२.	शैक्षणिक शुल्क	३,२९८.००
३.	पात्रता शुल्क	१००.००
४.	पंजीकरण शुल्क	२००.००
५.	पहचानपत्र पत्रशुल्क	१०.००
६.	ई-सुविधा शुल्क	६०.००
७.	पुस्तकालय शुल्क	१०.००
८.	छात्र कल्याण शुल्क	५०.००
९.	मा. राज्यपाल कार्यालय उपक्रम शुल्क	३८.००
१०.	खेल शुल्क	५०.००
११.	संवादपत्रिका शुल्क	१०.००
१२.	छात्र विमा योजना शुल्क	२०.००
१३.	राष्ट्रीय सेवा योजना शुल्क	१०.००
१४.	आपदा प्रबंधन शुल्क	१०.००
१५.	अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र शुल्क	२,०००.००
१६.	परीक्षा शुल्क	२,५३०.००
	कुल शुल्क आठ हजार चारसौ छियालीस रुपये मात्र	**८,४४६.००**

❖ शिक्षाक्रम शुल्क के संबंध में सूचना

आवेदक जिस शिक्षाक्रम में प्रवेश लेने वाले है, उस शिक्षाक्रम की प्रवेश शुल्क की जानकारी शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका में दी गई है। विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्र/ छात्र सहायता केंद्र के शुल्क इसमें समावेश हैं, इसलिए अध्ययन केंद्र/ छात्र सहायता केंद्र में इसके अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। शुल्क भुगतान के लिए प्रवेश आवेदन के बाद, दिए गए लिंकपर ऑनलाईन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क भुगतान करना है। दिए गए लिंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य लिंक पर की गई शुल्क का स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसलिए शुल्क सावधानीपूर्वक विश्वविद्यालय द्वारा दी गई लिंक पर ही भरे।

ऑनलाईन माध्यम से प्रवेश प्रक्रियाँ पूर्ण कर प्रवेश सुनिच्छित करें, और दी गई मोबाईल क्र. पर प्रवेश सुनिच्छित होने का और आपका प्रवेश होने के बाद स्थायी पंजीकरण क्रमांक का मेसेज (sms) मिलने की प्रतीक्षा करें। छात्र ने प्रवेश सुनिच्छित हुआ या नहीं और कैसे हुआ इस संदर्भ में छात्रों को चयन की गई अध्ययन केंद्र/ छात्र सहायता केंद्र से हमेशा संपर्क में रहना हैं।

५.१.५ प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की संरचना

एम. ए. हिंदी शिक्षाक्रम की प्रथम वर्ष का अनिवार्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम के संरचना, शीर्षक एवं सांकेतांक सहित नीचे कोष्ठक में दी है और आगे स्वयं-अध्ययन सामग्री की सूची दी है।

❖ प्रथम सत्र

पाठ्यक्रम प्रकार	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम सांकेतांक	पाठ्यक्रम शीर्षक	श्रेयांक
अनिवार्य	मुख्य अनिवार्य- १	HIN501	हिंदी साहित्य का इतिहास (आदि, भक्ति, रीति)	४
	मुख्य अनिवार्य- २	HIN506	भारतीय साहित्य	४
	मुख्य अनिवार्य- ३	HIN502	कथा साहित्य	४
	मुख्य अनिवार्य - ४	HIN514	संप्रेषण कौशल	२
वैकल्पिक (इनमें से कोई)	वैकल्पिक - १	HIN505	हिंदी साहित्य : विविध विमर्श	४
	वैकल्पिक - २	HIN503	काथेत्तर गद्य साहित्य	
शोध प्रविधि (RM)	अनिवार्य	HIN599	शोध प्रविधि	४
कुल श्रेयांक				**२२**

❖ द्वितीय सत्र

पाठ्यक्रम प्रकार	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम सांकेतांक	पाठ्यक्रम शीर्षक	श्रेयांक
अनिवार्य	मुख्य अनिवार्य- १	HIN507	हिंदी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल)	४
	मुख्य अनिवार्य- २	HIN508	भाषा विज्ञान	४
	मुख्य अनिवार्य- ३	HIN515	प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य	४
	मुख्य अनिवार्य-४	HIN516	सृजनात्मक लेखन	२
वैकल्पिक (इनमें से कोई एक)	वैकल्पिक- १	HIN511	राजभाषा हिंदी	४
	वैकल्पिक- २	HIN517	हिंदी वेब साहित्य	
क्षेत्रीय परियोजना	अनिवार्य	HIN513	क्षेत्रीय परियोजना	४

कुल श्रेयांक	२२

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम और स्वयं-अध्ययन सामग्री की सूची

➢ प्रथम सत्र

अनिवार्य पाठ्यक्रम

१. हिंदी साहित्य का इतिहास (आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल) (HIN501)(४ श्रेयांक)

पुस्तक १ : हिंदी साहित्येतिहास की लेखन परंपरा
पुस्तक २ : हिंदी साहित्य आदिकाल
पुस्तक ३ : हिंदी साहित्य - भक्तिकाल
पुस्तक ४ : हिंदी साहित्य -रीतिकाल

२. भारतीय साहित्य (HIN506) (४ श्रेयांक)

पुस्तक १ : भारतीय साहित्य की अवधारणा
पुस्तक २ : प्रतिनिधि भारतीय कवि
पुस्तक ३ : प्रतिनिधि भारतीय कथाकार
पुस्तक ४ : प्रतिनिधि भारतीय नाटककार

३. कथा साहित्य (HIN502) (४ श्रेयांक)

पुस्तक १ : कहानी उदभव और विकास
पुस्तक २ : कहानी
पुस्तक ३ : उपन्यास उदभव और विकास
पुस्तक ४ : उपन्यास : फाँस और दौड़

४. संप्रेषण कौशल (HIN514) (२ श्रेयांक)

पुस्तक १ : वाचन कला - काव्य / नाट्य / कथा
पुस्तक २ : संभाषण कला

वैकल्पिक पाठ्यक्रम (Major (Elective)

५. हिंदी साहित्य विविध विमर्श (HIN505) (४ श्रेयांक)

पुस्तक १ : विमर्श संकल्पना और स्वरूप
पुस्तक २ : स्त्री विमर्श
पुस्तक ३ : दलित विमर्श
पुस्तक ४ : आदिवासी विमर्श - लेखक हरि राम मीणा

अथवा

६. कथेत्तर गद्य साहित्य (HIN503) (४ श्रेयांक)

पुस्तक १ : हिंदी निबंध -
पुस्तक २ : जीवनी और आत्मकथा
पुस्तक ३ : रेखाचित्र और संस्मरण
पुस्तक ४ : यात्रावृत्तांत और साक्षात्कार

अनिवार्य पाठ्यक्रम

शोधप्रविधि (Research Methodology) (HIN599) (४ श्रेयांक)

७. शोध प्रविधि

पुस्तक१ : शोध स्वरूप एवं संकल्पना
पुस्तक२ : शोध प्रविधि और प्रक्रिया
पुस्तक३ : शोध में संसाधानो का उपयोग

पुस्तक४ : शोध लेखन प्रणाली और प्रस्तुति

➢ द्वितीय सत्र

अनिवार्य

८. हिंदी साहित्य का इतिहास (आधुनिक काल) (HIN507) (४श्रेयांक)

पुस्तक १ : आधुनिक काल की पृष्ठभूमि
पुस्तक २ : स्वतंत्रतापूर्व हिंदी साहित्य
पुस्तक ३ : स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य(2000 तक
पुस्तक ४ : इक्कीसवी सदी का हिंदी साहित्य

९. भाषा विज्ञान (HIN508) (४श्रेयांक)

पुस्तक १ : भाषाविज्ञान का स्वरूप और व्याप्ति
पुस्तक २ : भाषा परिवार
पुस्तक ३ : भाषाविज्ञान के विविध अंग
पुस्तक ४ : अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान

१०. प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य (HIN515) (४श्रेयांक)

पुस्तक १ : आदिकालीन काव्य
पुस्तक २ : भक्तिकालीन निर्गुण काव्य
पुस्तक ३ : भक्तिकालीन सगुण काव्य
पुस्तक ४ : रीतिकालीन काव्य

११. सृजनात्मक लेखन (HIN516) (२श्रेयांक)

पुस्तक १ : सृजनात्मक लेखन : सैद्धांतिक पक्ष
पुस्तक २ : सृजनात्मक लेखन : व्यावहारिक पक्ष

वैकल्पिक (१२ और १३ इनमें से कोई एक

१२. राजभाषा हिंदी (HIN511) (४श्रेयांक)

पुस्तक १ : संवैधानिक प्रावधान
पुस्तक २ : कार्यालयीन हिंदी
पुस्तक ३ : आलेखन और टिप्पण
पुस्तक ४ : प्रशासनिक शब्दावली

अथवा

१३. हिंदी वेब साहित्य (HIN517) (४श्रेयांक)

पुस्तक १ : कंप्युटर (संगणक) प्रणाली- उद्भव और विकास
पुस्तक २ : हिंदी वेब - उद्भव और विकास
पुस्तक ३ : हिंदी वेब साहित्य
पुस्तक ४ : भाषा प्रौद्योगिकी-विकास एवं प्रयोग

अनिवार्य

१४. क्षेत्रीय परियोजना (FP) (HIN513) (४श्रेयांक)

क्षेत्रीय परियोजना से संबंधित मार्गदर्शिका, विषय सूची और क्षेत्रीय परियोजना का ढाँचा विश्वविद्यालय की वेबसाईट https://ycmou.digitaluniversity.ac/Content.aspx?ID=890 पर उपलब्ध की गई है।

०६. मूल्यांकन पद्धति

छात्रों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाएगा पहला अंतर्गत मूल्यांकन (गृहकार्य) और दूसरा सत्रांत परीक्षा (लिखित परीक्षा) पाठ्यक्रम के अंक विवरण का अनुपात क्रमश ३०: ७० का रहेगा। प्रथमवर्ष के क्षेत्रीय परियोजना और द्वितीय वर्ष के शोध परियोजना पाठ्यक्रम के मूल्यांकन अंतर्गत मूल्यांकन (अंतर्गत प्रस्तुति) और अंतिम मूल्यांकन (मौखिक परीक्षा) ऐसे दो स्तर में किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अंकों (गुणदान) का स्वरूप अनुपात ५०:५० होगा।

६.१ मूल्यांकन पद्धति (प्रथम वर्ष)

६.१.१ अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति

अंतर्गत मूल्यांकन में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए गृहकार्य दिया जाएगा देण्य। गृहकार्य के प्रश्न विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.ycmou.ac.in अथवा http://ycmou.digitaluniversity.ac पर उपलब्ध कर दी जाएगी। छात्रों ने गृहपाठ के प्रश्न अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र के सहायता से अथवा स्वयं डाऊनलोड करें।

गृहकार्य प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बारकोड पृष्ठ उपलब्ध है। उस पृष्ठों की प्रिंट निकलकर उस पर स्वहस्तलिखित में गृहकार्य प्रश्नों के उत्तर लिखना है, फिर उसे स्कैन कर .pdf फाईल पोर्टल में अपलोड करें। **गृहपाठ अपलोड करने के संदर्भ में विस्तार से सूचना क्र ६.२ में दिए गए निर्देश के अनुपालन करें।**

चार श्रेयांक के पाठ्यक्रम में गृहकार्य के लिए ३० में से और दोन श्रेयांक के पाठ्यक्रम में गृहकार्य के १५ में से प्राप्त अंक गुणपत्रिका में स्वतंत्र रूप से [Continuous Assessment (CA)] . रूप से दर्शाया जाएगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंतर्गत/आंतरिक मूल्यांकन के लिए ३०% अंकों का भार (Weightage) होगा। उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम ४०% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैं।

अंतर्गत/आंतरिक मूल्यांकन का प्रारूप

४ श्रेयांक के लिए ३० अंकों के प्रश्न		२ श्रेयांक के लिए १५ अंकों के प्रश्न	
प्रश्नों के स्वरूप और प्रश्न क्र.	**अंक**	**प्रश्न क्र**	**अंक**
दीर्घोत्तरी प्रश्न – १	१० अंक	दीर्घोत्तरी प्रश्न – १	१० अंक
लघुत्तरी प्रश्न – २ (प्रत्येकी ५ अंक)	१० अंक	लघुत्तरी प्रश्न – १	५ अंक
वस्तुनिष्ठ प्रश्न – १० (प्रत्येकी १ अंक)	१० अंक	-	-
कुल अंक	**३० अंक**		**१५ अंक**

६.१.२ अंतिम मूल्यांकन (सत्रांत मूल्यांकन)

संत्रांत परीक्षा मूल्यांकन प्रारूप का अभिन्न अंग है। प्रत्येक सत्र के अंत में सत्रांत परीक्षा (लिखित परीक्षा) होगी। चार श्रेयांक के पाठ्यक्रम में ७० में से और दो श्रेयांक के पाठ्यक्रम में ३५ में से प्राप्त अंक, गुणपत्रिका में स्वतंत्र [University

Assessment (UA)] रूप से दर्शाया जाएगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में अंतिम मूल्यांकन के लिए ७०% अंको का भार (Weightage) होगा। उत्तीर्ण होने के लिए इसमें न्यूनतम ४०% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

अंतिम मूल्यांकन प्रारूप

४ श्रेयांक के लिए ७० अंकों के प्रश्न					
प्र. क्र.	**प्रश्नों के स्वरूप**	**प्रश्न क्र.**	**विकल्प**	**अंक**	**कुल अंक**
१.	दीर्घोत्तरी प्रश्न	३ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी१० अंक	३०
२.	लघुत्तरी प्रश्न	५ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी ५ अंक	२५
३.	अतिलघुत्तरीय प्रश्न	५ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी ३ अंक	१५
	कुल अंक				**७०**

२ श्रेयांक के लिए ३५ अंकों के प्रश्न					
प्र. क्र.	**प्रश्नों के स्वरूप**	**प्रश्न क्र.**	**विकल्प**	**अंक**	**कुल अंक**
१.	दीर्घोत्तरी प्रश्न	१ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी १० अंक	१०
२.	लघुत्तरी प्रश्न	२ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी ५ अंक	१०
३.	अतिलघुत्तरीय प्रश्न	५ प्रश्न	१ विकल्प	प्रत्येकी ३ अंक	१५
	कुल अंक				**३५**

६.१.३ 'क्षेत्रीय परियोजना' मूल्यांकन पद्धति

प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र में 'क्षेत्रीय परियोजना' पाठ्यक्रम (HIN513) चार श्रेयांक (क्रेडिट) का होगा। क्षेत्रीय परियोजना' १०० अंकों में विभाजित है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन (रिपोर्ट प्रस्तुति) और अंतिम परीक्षा (मौखिक परीक्षा) का भार ५० : ५० अंको का होगा। **'क्षेत्रीय परियोजना' अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करना है। गृहपाठ के अनुसार विश्वविद्यालय के वेबसाईट/पोर्टल पर प्रमाणे अपलोड नहीं करना है।**

अंतर्गत मूल्यांकन [Continuous Assessment (CA)] ५० में से और अंतिम मूल्यांकन [University Assessment (UA)] ५० में से प्राप्त अंक छात्रों की गुणपत्रिकाओं में स्वतंत्र रूप से दर्शाए जाएगे। उत्तीर्ण होने के लिए अंतर्गत मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन में प्रत्येकी न्यूनतम ४०% गुण अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय परियोजना पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर या संबंधित वर्ष में 'क्षेत्रीय परियोजना' प्रस्तुत न करने पर शुरू शैक्षणिक वर्ष के विषय सूची के अनुसार क्षेत्रीय परियोजना पुन: प्रस्तुत करें। क्षेत्रीय परियोजना संदर्भ में विस्तार से जानकारी विश्वविद्यालय की www.ycmou.ac.in अथवा *http://ycmou.digitaluniversity.ac* वेबसाईट पर देखें।

'क्षेत्रीय परियोजना' मूल्यांकन प्रारूप (सत्र दूसरा)

श्रेयांक	**अंतर्गत कार्य (रिपोर्ट प्रस्तुति)**	**अंतिम परीक्षा (मौखिक परीक्षा)**	**कुल अंक**

	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
४	५०	२०	५०	२०	१००	४०

६.२ गृहकार्य ऑनलाईन अपलोड के लिए सूचना

❖ **छात्रों के लिए सूचनाएँ :**

अंतर्गत/आंतरिक मूल्यांकन के लिए छात्रों ने **स्वहस्तलिखित गृहकार्य** (Home Assignment) विश्वविद्यालय के पोर्टलपर अपलोड करना अनिवार्य है। गृहकार्य अपलोड करते समय निम्न सूचनाओं का पालन करें।

१. गृहकार्य के लिए छात्र ने https://asm.ycmou.org.in/ इस पोर्टलपर उपलब्ध student User Guide सावधानीपूर्वक पढ़े और १६ अंक स्थायी पंजीकरण क्रमाक (PRN) का उपयोग कर पंजीकरण प्रक्रियाँ पूर्ण करें।

२. पोर्टलपर सफल रूप से पंजीकरण (लॉगीन) करने के बाद अपने प्रवेशित शिक्षाक्रम से संबंधित पाठ्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। इस पेजवर पोर्टल पर गृहकार्य लेखन के लिए बारकोड सहित कोरा पृष्ठ दी गई है। आवश्यकता के अनुसार बारकोड पृष्ठों का प्रिंट लीजिए और उसमें स्वहस्ताक्षर में गृहकार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखे।

३. दस अंकों के गृहकार्य प्रश्नों के उत्तर कम से कम १०० से १२० शब्दों में लिखें और पाँच अंकों के प्रश्नों के उत्तर कम से कम ५० से ६० शब्दों में लिखें। सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए । गृहकार्य के प्रश्न क्रमवार हल करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग पृष्ठ पर लिखना अपेक्षित है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर एक पृष्ठ में पूरा नहीं होता है, तो अंत में P.T.O. लिखें और अगले पृष्ठ पर प्रश्न क्रमांक लिखकर आगे का उत्तर लिखें (उदा. Q-1 Continued...)

४. प्रत्येक पाठ्यक्रम का गृहकार्य लिखने के बाद, पृष्ठों को क्रम से रखकर उसकी .pdf फाइल तैयार करें। आपकी .pdf फाइल स्पष्ट रूप से स्कैन और योग्य पठनीय होनी चाहिए। स्कैन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पृष्ठ ओवरलैप, तिरछा, मुड़ा हुआ न हो। प्रत्येक पृष्ठ का आकार कम से कम 3MB का होना चाहिए और सभी पृष्ठ को मिलाकर फाइल का आकार 20MB से अधिक न हो।

५. अपना गृहकार्य अपलोड करने के लिए https://asm.ycmou.org.in पोर्टल पर जाएँ। अपलोड किए गए गृहकार्य की प्रारंभिक जाँच अध्ययनकेंद्र/ छात्र सहायता केंद्र के माध्यम से की जाएगी। प्रारंभिक जाँच के बाद अनुमोदित (Approved) गृहकार्य के अंक अध्ययन केंद्र/ छात्र सहायता केंद्र के संमंत्रक द्वारा दिए जाएंगे।

६. यदि अपलोड किए गए पृष्ठ पढ़ने योग्य नहीं हैं, विषय के अनुसार अपलोड नहीं किए गए हैं, स्कैन किए गए पृष्ठ टेढ़े, तिरछे या धुंधले हैं और रिक्त पृष्ठ स्कैन किए गए गृहकार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ऐसे गृहकार्य को अस्वीकार किया जाएगा, इसका ध्यान रहे। छात्र अपनी प्रोफ़ाइल (व्यक्तिगत जानकारी) में गृहकार्य अस्वीकृति के बारे में जानकारी देख सकते हैं।

७. पोर्टल पर पंजीकरण, गृहकार्य अपलोड करने से लेकर गृहकार्य की जाँच (स्वीकृत या अस्वीकृत (Reject) की जानकारी आपके प्रोफ़ाइल पर और ई-मेलपर उपलब्ध होगी। इसलिए छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने प्रोफ़ाइल और ईमेल नियमित रूप से देखें और समय-समय पर अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र से संपर्क करते रहें।

८. पंजीकरण, प्रस्तुतिकरण और पुनः प्रस्तुतिकरण (सबमिशन, रि-सबमिशन) प्रक्रियाएँ सभी को एक दी गए समय के भीतर पुरा करना है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के बाद गृहकार्य अपलोड नहीं की जाएगी। छात्रों ने निर्धारित समय में अपना गृहकार्य अपलोड करना अनिवार्य है।

९. जिस छात्र का गृहकार्य किसी करणवश अस्वीकृत कर दी गई है, ऐसे छात्रों को लॉगिन में दोबारा अपलोड (फिर से जमा) करने के लिए उपलब्ध होगा। पुनः प्रस्तुतिकरण (रि-सबमिशन) को भी निर्धारित समय के भीतर ही पूरा करना आवश्यक है। निर्धारित समय समाप्त होने पर गृहकार्य अपलोड नहीं किया जा सकता। यदि छात्र इस बारे में अगर लापरवाही करते

हैं, तो उन्हें उनकी अंकपत्रिका (गुणपत्रिका) के आंतरिक अंक (CA) अनुभाग में अनुपस्थित(Absent) (Ab)के रूप में दर्शाया जाएगा।

१०. **अंत्यंत महत्वपूर्ण सूचना :** गृहकार्य लिखने के लिए अपनी लॉगिन में उपलब्ध पृष्ठों का उपयोग करें। आपके लॉगिन के पृष्ठों पर आपका बारकोड होने के कारण, अन्य किसी छात्र के लॉगिन से ली गई पृष्ठों की पर की की गई गृहकार्य अस्वीकार (Reject) होगा।

११. गृहकार्य संबंधित वर्ष में एक ही बार स्वीकार किया जाएगा। किंतु किसी करणवश गृहकार्य प्रस्तुत न करने पर या उसमें अनुत्तीर्ण होने पर निर्धारित समय में परीक्षा शुल्क भरकर शुरू शैक्षणिक वर्ष के गृहकार्य को पुन: प्रस्तुत कर सकते है।

❖ अध्ययनकेंद्र / सहायता केंद्र के लिए सुचना

१. अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्रों को https://asm.ycmou.org.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना है। इसके बाद, लॉगिन करें और पहले उनके केंद्र के परामर्शदाता /शिक्षक / सलाहगार / समंत्रकों की जानकारी दर्ज करें। छात्र सहायता केंद्र लॉगिन से इस बात की जानकारी मिलेंगी कि कितने छात्रों ने गृहकार्य जमा / प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार, छात्रों से गृहकार्य अपलोड करने के बारे में निर्देश और सहायता प्रदान करें और निर्धारित समय के भीतर सभी छात्रों से गृहपाठ अपलोड करवाएँ। इसके संदर्भ में छात्रों को मार्गदर्शन एवं सहायता करें।

२. अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्रोंने अपना लॉगिन में प्राप्त गृहकार्य की प्रारंभिक जाँच तुरंत करें और उचित गृहकार्य का संबंधित विषयों के समंत्रकों से परीक्षण करवाले। ठीक से अपलोड न हुए गृहकार्य को अस्वीकार करें, और उसे जल्द से जल्द दोबारा अपलोड करने के लिए संबंधित छात्रों को सूचना देकर अपलोड करने में सहायता करें। अध्ययन केंद्र/ छात्र सहायता केंद्र का यह दायित्व है कि,विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर जाँच प्रक्रियाँ को पूरा करें।

- ❖ गृहकार्य ऑनलाईन अपलोड के संबंध में कुछ परिवर्तन होगा तो, सुचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।
- ❖ गृहपाठ ऑनलाईन अपलोड के संबंध में छात्र और अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्रों को किसी भी तकनीकी समस्या आने पर या अधिक जानकारी हेतू 8055253072 इस मोबाईल पर कॉल करें या oasishelpdesk22@gmail.com ई-मेल पर आप संपर्क कर सकतें है।

०७. पंजीकरण/ प्रवेश प्रक्रियाँ

१. विश्वविद्यालय नीति के अनुसार प्रवेश प्रक्रियाँ ऑनलाईन पद्धति से होंगा। पहले छात्रों ने https://ycmou.digitaluniversity.ac विश्वविद्यालय वेबसाईट पर जाएँ

२. विश्वविद्यालय की https://ycmouldigitaluniversity.ac इस वेबसाइट पर Admission इस टॅब पर जाकर शैक्षणिक सत्र जनवरी २०२५ शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका (Prospectus) इस लिंकपर करें। इस लिंक पर विश्वविद्यालय के विविध शिक्षाक्रम शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका उपलब्ध हैं। छात्र जिस शिक्षाक्रम में प्रवेश लेना चाहते उस शिक्षाक्रम की सूचना पुस्तिका डाउनलोड करें। शिक्षणक्रम के प्रवेश संबंधित (उदाहरण प्रवेशपात्रता, शुल्क,विषय-पाठ्यक्रम आदि) शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका पढ़कर आवश्यक पृष्ठों की प्रिंट निकलकर अपने पास रखे।

३. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रवेश के समय शिक्षाक्रम निहाय अध्ययनकेंद्र/ छात्र सहायता केंद्रों की सूची उपलब्ध होगा। दिए गए सूची में से छात्र जिस अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र में प्रवेश लेना चाहते है, उस अध्ययनकेंद्र का चयन करें और उस अध्ययनकेंद्र / सहायता केंद्र का पूर्ण पता सांकेतांक क्रमांक लिखकर अपने पास रखे।

४. शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका (Prospectus) में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रवेश के लिए आवश्यक गुणपत्रिका, फोटो आणि हस्ताक्षर JPG/JPEG/PNG इस Format में स्कॅन करें। प्रत्येक फाईल की साईज 10 MB से अधिक न हो।

५. ऑनलाईन प्रवेश अर्ज करने के पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाईट पर Presentations>User Guide Presentation >Students इस कोष्टक के Online Admission में दिए गए सूचना पढ़े।

६. नव/नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय की Online Admission पर लिंक पर स्वयं के सक्रीय ई-मेल और मोबाइल का उपयोग कर USER ID और पासवर्ड तैयार करना आवश्यक है ।अपनी USER ID और One Time Password (OTP) दिए गए मोबाईल और ई-मेल पर प्राप्त होगा। इसके सहायता से नयी पासवर्ड तैयार करें और पुन: लॉगीन कर प्रवेश आवेदन भरे।

७. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने लॉगीन करने के लिए अपना स्थायी पंजीकरण संख्या (PRN) और पिछले वर्ष का Password उपयोग करें। Password याद नहीं है या याद नहीं हो रहा है तो 'Forgot Password' लिंक का उपयोग कर उसमें पूछे गए जानकारी भरकर आगे की ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाँ पूर्ण करें।

८. ऑनलाईन प्रवेश के समय पूछे गए जानकारी सावधानीपूर्वक भरे। प्रवेश पात्रता के लिए आवश्यक कागज, फोटो, हस्ताक्षर आदि का स्कॅनकर अपलोड करें। अधुरी जानकारी, अपूर्ण आवेदन, गलत अथवा अस्पष्ट (blur) कागजात अपलोड न करें।

९. छात्र ने लिया शिक्षाक्रम के प्रवेश शुल्क शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका (Prospectus) में निर्देशित के अनुसार भरना अनिवार्य है। ऑनलाईन प्रवेश आवेदन में दिए गए लिंकपर ऑनलाईन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बँकिंग / युपीआय द्वारा प्रवेश शुल्क भुगतान करें। प्रवेश आवेदन में दिए गए लिंक अतिरिक्त अन्य किसी भी लिंक पर की गई शुल्क का भुगतान मान्य नहीं होगा। अगर ऐसे होता है, तो इसकी जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

१०. प्रवेश निश्चित होने संबंध में सूचना व् अन्य जानकारी ई-मेल/ एस.एम.एस.(SMS) छात्र के ई-मेल आयडी और मोबाईल पर भेजा जाता है । छात्र ने प्राप्त मेसेज (SMS) को सुरक्षित अपने पास रखे ।

११. छात्र User ID और Password का उपयोग करके अपना प्रवेश की वर्तमान स्थिति (Status) देख सकते। आवेदन स्वीकृत हुआ है, तो Approved दिखाई देगा और स्वीकृत नही हुआ है, तो Reject दिखाई देगा। छात्र द्वारा बनाए गए प्रोफाईल में दिखाई देगा। छात्र अपना आवेदन की स्थिती का समय-समय पर जाँच करें ।

१२. छात्र का प्रवेश रद्द/ अस्वीकृत होने संबंध में या कागजात पत्र अधुरा होने संबंध में किसी भी रूप में ई-मेल/मेसेज विश्वविद्यालय द्वारा नहीं भेजा जाएगा। गलत रूप से प्रवेश हुआ अथवा प्रवेश अपात्र हो गए, ऐसे स्थिति में विश्वविद्यालय नियम के अनुसार शुल्क वापस नहीं किया जाएगा ।

१३. शिक्षाक्रम सफलतापूर्ण पूरा होने तक छात्र/आवेदक ऑनलाईन प्रवेश आवेदन की जानकारी नहीं बदल सकते।

१४. छात्र अपना प्रवेश सुनिच्छित करने के लिए ऑनलाईन प्रवेश आवेदन की फी और पात्रता संबंधित कागजात अध्ययन केंद्र /छात्र सहायताकेंद्र पर जमा करें। प्रवेश पुष्टिकरण होने के बाद विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री का उपयोग करें।

१५. आरक्षित वर्ग के छात्र के लिए छात्रवृत्ति संबंधित सूचनापत्र वेबसाईट पर दी गई है। इसे सावधानीपूर्वक पढ़कर ऑनलाईन प्रवेश और छात्रवृत्ति संबंधित ऑनलाईन आवेदन की महाडीबीटी वेबसाईटपर निर्धारित समय पर कार्यवाही पूर्ण करें।

१६. छात्र ऑनलाईन पहचानपत्र अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र से या स्वंय डाउनलोड कर प्रिंट ले।

१७. संबंधित शैक्षणिक वर्ष के शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका (Prospectus) में प्रवेश संबंधित पूर्ण नियम, शर्त तथा शपथपत्र द्वारा दी जानकारी और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दी गई सूचनाएँ एवं नियमों का पालन करना आवेदक को बंधनकारक रहेगा।

१८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शिका के अनुसार छात्रों ने किसी कारणवश प्रवेश निरस्त कर दिया है, तो शिक्षाक्रम शुल्क से लागु होनेवाले प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा।

१९. विश्वविद्यालय ने छात्र विमा योजना शुरू की है, इस संबंध में दावा (claim) करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से छात्र कल्याण एवं बहिस्थ केंद्र पर लिखित रूप में पत्र व्यवहार करें। इसके संबंध में समय-समय पर होने वाली बदलाव संबंधित छात्रों को लागु होगा।

०८. छात्रवृत्ति योजना लागू विश्वविद्यालय के शिक्षाक्रम

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति (ST), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछडे वर्ग (OBC), विमुक्त जाति/ गुमंतू जनजाति (VJ/NT), अन्य विशेष पिछड़ा प्रवर्ग (SBC) तथा आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) प्रवर्ग के छात्रों के लिए सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएँ (Post Matric Scholarship Schemes) लागू हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर छात्रवृत्ति के संबंध में सूचनाएँ दी गई है। छात्रों ने प्रवेश आवेदन करते समय यह सूचनापत्र सावधानीपूर्वक पढ़कर सुयोग्य उस छात्रवृत्ति विकल्प का चयन करें। उक्त विकल्प का चयन कर विश्वविद्यालय के नीचे दी गई शिक्षाक्रम को ऑनलाईन प्रवेश लेने वाले छात्रों ने महाडीबीटी के वेबसाइट पर छात्रवृत्ति से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरा करना आवश्यक है। छात्रवृत्ति योजना के तहत आने वाले शैक्षणिक शिक्षाक्रम की सूची:-

अ.क्र.	छात्रवृत्ति योजना लागू विश्वविद्यालय के शिक्षाक्रम	शिक्षाक्रम अवधि
१.	बी. ए. मराठी और उर्दू माध्यम	३ वर्षे
२.	बी. ए. जनसंज्ञापन आणि वृत्तपत्रविद्या	३ वर्षे
३.	एम. ए. मराठी	२ वर्षे
४.	एम. ए. हिंदी	२ वर्षे
५.	एम. ए. उर्दू	२ वर्षे
६.	एम. ए. इतिहास	२ वर्षे
७.	एम. ए. अर्थशास्त्र	२ वर्षे
८.	एम. ए. लोकप्रशासन	२ वर्षे
९.	ग्रंथालय व माहितीशास्त्र पदवी शिक्षणक्रम	१ वर्षे
१०.	ग्रंथालय व माहितीशास्त्र निष्णात शिक्षणक्रम	१ वर्षे

०९. ABC-ID / APAAR-ID और DEB-ID बनाने के लिए सूचना

राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति, २०२० के अनुसार नुसार छात्रों को शिक्षाक्रम प्रवेश के समय Academic Bank of Credits (ABC-ID) Automated Permanent Academic Account Registry(APAAR)-ID बनाना अनिवार्य है। ABC-ID यही अभी APAAR-ID होगा। अपने इससे पूर्व प्राप्त की प्रमाणपत्र, पदविका और उपाधि की जानकारी DigiLocker (ABC-NAD) में भरना आवश्यक हैं। इसके बिना अन्य पाठ्यक्रमों का श्रेयांक (हस्तांतर (credit transfer) नहीं होगा। ABC-ID/APAAR-ID बनाने के लिए https://www.abc.gov.in अथवा https://apaar.education.gov.in/ इस पोर्टलपर पंजीकरण करें अथवा विश्वविद्यालय की www.ycmou.ac.in वेबसाईट पर भेट दीजिए। विश्वविद्यालय वेबसाईट पर Student

Zone पर क्लिक करें। दी गई सूची में से Academic Bank of Credits पर क्लिक कर ABC-ID /APAAR-ID बनाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण देखें और उसके अनुसार आगे की कारवाई करें। मुक्त शिक्षा प्रणाली के छात्रों को APAAR-ID के साथ DEB-ID बनाना भी आवश्यक है। https://deb.ugc.ac.in/StudentDEBId इस लिंक पर DEB-ID तैयार कर सकते है।

१०. विशेष सूचना / संपर्क के लिए

अ) प्रवेश-आवेदन भरने के संबंध में निर्देश

१. प्रवेश -आवेदन भरने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें।
२. छात्र को प्रवेश लेने से पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कर अपनी प्रोफाईल बनाना आवश्यक है। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर (संभवतः व्हाट्सएप) और सक्रिय ईमेल आईडी दर्ज करें।
३. प्रवेश-आवेदन को स्वयं भरे, फोटो और हस्ताक्षर स्वयं अपलोड करे या व्यक्तिगत रूप से करवा लेना आवश्यक है। इसके बारे में सूचना पुस्तिका और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पढ़ें। (१.वेबसाईट – Presentations2. Registration Page Link)
४. ऑनलाइन प्रवेश-आवेदन भरते समय महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र (Leaving Certificate) और अंतिम शैक्षिक योग्यता की अंकतालिका / गुणपत्रिका (Marksheets) अपलोड करना आवश्यक है।
५. प्रवेश आवेदन में जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। एक बार **Submit** किए गए आवेदन में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

आ) अध्ययनकेंद्र/ छात्र सहायता केंद्र के संबंध में सूचना

१. पंजीकरण की प्रक्रियाँ पूरी होने के बाद संपर्क सत्र कब शुरू होंगे, इसके संबंध में अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र में जाकर समय सारणी देखें। पहचान पत्र पर छात्र सहायता केंद्र प्रमुख के हस्ताक्षर और मुहर (**Stamp**) लगवाएं। अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र में आते समय और परीक्षा के दौरान पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है।
२. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्रों के अलावा किसी भी निजी संस्था या कोचिंग क्लास को विश्वविद्यालय की मान्यता नहीं है। ऐसी संस्थाओं या 'क्लास' में प्रवेश लेने या अतिरिक्त शुल्क भरने पर विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा।
३. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर अंतिम परीक्षा आयोजित की जाती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
४. आंतरिक मूल्यांकन के लिए गृहकार्य के प्रश्न विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध की जाती है। गृहकार्य को पूरा कर अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर निर्धारित समय में जमा करें। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए संबंधित पाठ्यक्रम के समंत्रक / परामर्शदाता-प्राध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
५. यदि किसी अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर पर्याप्त छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ है, तो ऐसे केंद्र के छात्रों को निकटतम केंद्र पर संपर्क सत्र और परीक्षा के लिए स्थानांतरित (Transfer) किया जाएगा।
६. **अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना:** प्रथम वर्ष में जिस नाम से प्रवेश किया गया है, उसी नाम से उपाधि (Degree) प्रमाणपत्र मिलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नाम में बदलाव करने के लिए स्वघोषित शपथ पत्र (**Affidavit**) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

७. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकपत्र (गुणपत्रक) या उपाधि (Degree) प्रमाणपत्र खो जाने पर, विश्वविद्यालय नियम के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करके द्वितीय प्रत की माँग की जा सकती है। इसके लिए परीक्षा विभाग द्वारा मांग की गई आवश्यक कागजात की पूर्ती किजीए।

८. छात्र प्रवेश, गृहकार्य, परीक्षा, पुनर्परीक्षा आदि के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखे। छात्र सहायता केंद्र के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना आपके लिए सहायक होगा।

इ) विश्वविद्यालय का मुख्यालय

'ज्ञानगंगोत्री परिसर', गोवर्धन, गंगापूर बांध के पास, नासिक -४२२२२२
दूरभाष क्र. (०२५३) २२३१७१४, २२३१७१५, २२३०२२७

■ **विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों का समय निम्नलिखित हैं।**

- सुबह १०.०० से शाम ५.४५ (दुपहर १.३० से २.०० तक सुट्टी)
- रविवार, हर माह पहला और तीसरा शनिवार तथा सरकारी छुट्टियों के दिन उपरोक्त कार्यालय बंद रहेंगे।

■ **विशेष समस्याओं के संबंध में संपर्क**

१. शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका , /प्रवेश आवेदन, अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्र समस्याएँ के लिए

- ❖ निदेशक, छात्र सेवाविभाग, नासिक
- ❖ प्रवेश प्रक्रियाँ प्रमुख, पंजीकरण/प्रवेश कक्ष, नासिक
- ❖ क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित क्षेत्रीय केंद्र

२. पाठ्यक्रम (विषय)

❖ निदेशक, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
दूरभाष (०२५३) २२३१४७५ ई-मेल:dir_shu@ycmou.digitaluniversity.ac

३. प्रवेश, पंजीकरण क्रमांक, पता परिवर्तन/ बदलाव, अध्ययनकेंद्र परिवर्तन

❖ प्रवेश प्रमुख, पंजीकरण कक्ष, नासिक
दूरभाष (०२५३) २२३१४७५ ई-मेल: nondani@ycmou.digitaluniversity.ac

४. परीक्षा, परीक्षा आवेदन, परीक्षा बैठक क्रमांक, परीक्षा परिणाम, उपाधि प्रमाणपत्र आदि.

❖ परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा विभाग
दूरभाष (०२५३) २२३०७१६ ई-मेल: coe@ycmou.digitaluniversity.ac

५. अध्ययन- सामग्री /साहित्य, पुस्तके आदि.

❖ भांडार प्रबंधक, भांडार एवं जावक प्रेषण कक्ष
दूरभाष (०२५३) २२३०१०७

६. छात्रवृत्ति

❖ छात्रवृत्ति कक्ष, य.च.म.मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
दूरभाष (०२५३) २२३००५० ई-मेल: scholarship@ycmou.digitaluniversity.ac

७. संबंधित क्षेत्रीय केंद्र

❖ **महत्वपूर्ण सूचना :**

- राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति,२०२० के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम के अध्ययन सामग्री देश के प्रतिष्ठित विशेज्ञों के सहयोग से विकसित गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा मुद्रित पुस्तके अध्ययनकेंद्र / छात्र सहायता केंद्र पर प्राप्त न होने तक छात्रों ने *http://ycmou.digitaluniversity.ac* और www.*ycmou.ac.in* वेबसाईट पर .pdf स्वरूप में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन करें।
- 'क्षेत्रीय परियोजना' को निर्धारित समय में छात्र सहायता केंद्र पर प्रत्यक्ष जाकर जमा करना आवश्यक है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड नहीं करना है।
- क्षेत्रीय परियोजना पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर या संबंधित वर्ष में क्षेत्रीय परियोजना प्रस्तुत नहीं कर सका, ऐसे स्थिति में शुरू शैक्षणिक वर्ष के विषय सूची के अनुसार क्षेत्रीय परियोजना पुन:प्रस्तुत करें।
- किसी भी शिक्षाक्रम में महाराष्ट्र भर में से २० से कम पंजीकरण होने पर, शुरू शैक्षणिक वर्ष के शिक्षाक्रम को स्थगित करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है, ऐसे स्थिति में संबंधित शिक्षाक्रम में प्रवेशित छात्रों को पूरा शुल्क वापस किया जाएगा।
- In case of less than 20 admissions to any Program (from entire State of Maharashtra), the university will have right to put the program on hold in the current academic year. In such case, total fees paid by the learner towards the Program fees will be refunded.

११. सायबर सुरक्षा पाठ्यक्रम (अनिवार्य ऑडीट कोर्स)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निर्देश के अनुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय की उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम में प्रवेशित छात्रों को सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रम लागू की है। इस पाठ्यक्रम की शुरूवात अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२४- २५ से शुरू की है. सदर ऑनलाईन पाठ्यक्रम श्रेयांक शून्य (non-credit) ऑडीट कोर्स है। छात्रों ने पंजीकरण/प्रवेश प्रवेशित स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम पूरा करने के पूर्व ०२ वर्ष में पूरा करना अनिवार्य है। **सायबर सुरक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के बाद ही छात्रों को उनके स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षाक्रम की प्रमाणपत्र दी जाएगी।**

इसके संदर्भ में अधिक जानकारी परिशिष्ट ९ में दी गई है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क:

❖ मा. निदेशक, संगणकशास्त्र, संकाय, य.च.म.मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
दूरभाष क्र. (०२५३) २२३०७१७ ई-मेल:scmcs@ycmou.digitaluniversity.ac

❖ मा. निदेशक , ऑनलाईन शिक्षा संकाय, य.च.म.मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक
दूरभाष क्र. (०२५३) २२३०१९१ ई-मेल:dir_sol@ycmou.ac.in

१२. क्षेत्रीय केंद्र

१. **अमरावती :** य .च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का अमरावती क्षेत्रीय केंद्र, वलगाव रोड, पोस्ट व्ही. एम. व्ही. अमरावती– ४४४६०४ दूरभाष क्र. (०७२१) २५३१४४५,९५९५१९७०९९ ई-मेल:rd_amravati@ycmou.digitaluniversity.ac

२. **छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) :** य .च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का संभाजीनगर क्षेत्रीय केंद्र, सर्व्हे नं. ४१, सैनिक बच्चों के छात्रावास के पूर्व में, नंदनवन कॉलनी, छावणी, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)– ४३१००२ दूरभाष क्र. (०२४०) २३७१०७७, २३७१०६६, ९९२२९४२१७७ ई-मेल:rd_aurangabad@ycmou.digitaluniversity.ac

३. **कोल्हापूर :** य. च. म मुक्त विश्वविद्यालय का कोल्हापूर क्षेत्रीय केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ परिसर,पोस्ट ऑफिस के पास, विद्यानगर, कोल्हापूर – ४१६००४ दूरभाष क्र. (०२३१) २६०७०२२, २६०७०२३, ९४२३९७९६४५, ९४२३९७९९७५०, ९४०४९६१४९६ ई-मेल:rd_kolhapur@ycmou.digitaluniversity.ac

४. **मुंबई :** य .च .म .मुक्त विश्वविद्यालय का मुंबई क्षेत्रीय केंद्र, जगन्नाथ शंकरशेठ म .न. पा. की मराठी पाठशाला, दूसरा मंजिल, फ्रेअर ब्रीज (साऊथ), नाना चोक, ग्रँटरोड (प.) मुंबई -४०००० दूरभाष क्र. (०२२)२३८७४१८०, २३८७४१८७, २३८७४१८३, ९९२२३७९३१९, ९८६९१९५६९५ ई- मेल:rd_mumbai@ycmou.digitaluniversity.ac

५. **नागपूर :** य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का नागपूर क्षेत्रीय केंद्र रावबहादूर डी., लक्ष्मीनारायण बंगला, विश्वविद्यालय क्रिडा परिसर, लॉ कॉलेज कॅम्पस, रवीनगर चौक, नागपूर- ४४०००१ दूरभाष क्र. (०७१२) २५५३७२४, (०७१२) २५५३७२५, ९४०३७७४६०७, ९४०३७७४६२७ ई-मेल: rd_nagpur@ycmou.digitaluniversity.ac

६. **नांदेड :** य. च. म. विश्वविद्यालय का नांदेड क्षेत्रीय केंद्र, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय के पास, नांदेड -०६ दूरभाष क्र. ९६८९१७४८७८, ९४२२२४७२९६ ई-मेल:rd_nanded@ycmou.digitaluniversity.ac

७. **नासिक :** य. च. म.मुक्त विश्वविद्यालय का नासिक क्षेत्रीय केंद्र, नासिक महानगरपालिका की पुरानी इमारत, दूसरी मंजिल, नई पंडित कॉलनी, नासिक-२
दूरभाष (०२५३) २३१७०६३, ९४०३७७४७०६ ई-मेल: rd_nashik@ycmou.digitaluniversity.ac

८. **पुणे :** य. च. म. मुक्त विश्वविद्यालय का पुणे क्षेत्रीय केंद्र, शाहीर अण्णाभाऊ साठे प्रशालागृह, महानगरपालिका पाठशाला क्र.५ (लडको के), ६५४, सदाशिव पेठ हौद के सामने, कुमठेकर मार्ग, पुणे-४११०३० दूरभाष क्र. (०२०) २४४५७९१४, २४४९११०७, ८३२९२५६७३६ ई-मेल:rd_pune@ycmou.digitaluniversity.ac

१३. परिशिष्ठ

परिशिष्ट ०१ : उम्मीदवार / छात्र करारनामा

यह करार/ अनुबंध छात्र या उम्मीदवार और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय (यचममुवि) के बीच की है। छात्र/ उम्मीदवार द्वारा Accept स्वीकार बटन पर क्लिक करने से यह करार/ अनुबंध स्वयं ही अस्तित्व में आ जाएगा और दोनों पक्षोंद्वारा मान्य, स्वीकृत और वैध माना जाएगा।

इस करार अनुबंध में 'उम्मीदवार' शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो यचममुवि द्वारा संचालित शिक्षाक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं और 'छात्र' शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जिन्होंने यचममुवि द्वारा संचालित शिक्षाक्रम में निर्दिष्ट प्रक्रियाँ का पालन कर प्रवेश लिया है।

उम्मीदवार यह स्वीकार तथा मान्य करता है कि,

१. छात्र ने शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर आगे की कार्य करें।

२. छात्र ने यह सुनिश्चित किया है कि चयन की गई पाठ्यक्रम के लिए पात्र है। यदि वह शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका अथवा कम्प्यूटर के पटल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपात्र हैतो, उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया गया शुल्क आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस नहीं किया जाएगा।

३. छात्रने शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका सेसं बंधित शिक्षाक्रम की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। उसे अध्ययन सामग्री (पुस्तकें) किस रूप में(छपी हुई पुस्तकें, ई-बुक, मोबाईल दृश्य-श्राव्य टेप, सीडी, इंटरनेटपर उपलब्ध सामग्री उपलब्ध होगा इस संदर्भ में कोई आक्षेप नहीं और वे यह भी माँग नही करेंगा कि वे शिक्षाक्रम विवरण पुस्तिका में दिएग ए अध्ययन सामग्री के अलावा किसी भी रूप नहीं मेंउपलब्ध हो।

४. यदि वह यचममुवि के संबंध में कोई शिकायत या विवरण देना चाहता है तो उसे कंप्यूटर प्रणाली का (यूजर आयडी) उपयोग ही करना होगा। ऐसी शिकायत अथवा आवेदन के द्वारा उत्पन्न वजह/ कारणों की तिथि से ३०दिनों के भीतर कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग से ही करना होगा।

५. उन्हें यह मान्य और स्वीकार है कि, विश्वविद्यालय को शिक्षाक्रम रखने/ संचालित करने के लिए नियमों में परिवर्तन करने, नीतियों में, अध्ययन सामग्री में बदलाव करने का अधिकार है, और इन नियमों, नीतियों, अध्ययन सामग्री, और पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव उसके लिए प्रतिबंधक/ बाध्य होंगे, और इस संदर्भ में उसकी कोई भी शिकायत नहीं होगी।

६. वह शिक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा।

७. यह स्वीकार करता है कि, विश्वविद्यालय के पास पंजीकरण के समय (फोटो, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, पता आदि) विश्वविद्यालय को दी जानकारी में बदलाव करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

८. यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि,यदि विश्वविद्यालय सरकारसे जिन छात्रों के शुल्क प्राप्त नहीं होगा (छात्रवृत्ति छात्रों के संबंध में) ऐसे छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा और यदि छात्र ने परीक्षा दी है, ऐसे में छात्र का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा तब तक छात्र विश्वविद्यालय का शुल्क जमा नहीं करता।

९. छात्र इस बात से अवगत है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी अधूरी पायी गई तो उसका प्रवेश निरस्त हो सकता. छात्र को उपाधि या पदविका प्रदान करने के बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी अधूरी मिलने पर उसकी उपाधि या पदविका निरस्त की जाएगी।

१०. छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट (https://ycmou.digitaluniversity.ac/ अथवा https://ycmou.ac.in/) पर नियमित रूप से देखेगा और वहां दिए गए शैक्षिक अथवा परीक्षा संबंधी सूचना (परीक्षा हॉल टिकिट डाउनलोड करना और उसकी प्रिंट करना आदि) का पालन करेगा।

११. वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षाक्रम का अध्ययन अपेक्षित परिश्रम, अनुशासन के साथ और ईमानदारी से करेगा, साथ ही विश्वविद्यालय की योग्य छात्र की तरह व्यवहार करेगा और ऐसा कुछ भी नही करेगा जो विश्वविद्यालय नियम के विरुद्ध हो।

परिशिष्ट ०१ :Candidate/Student Agreement at the time of Admission

This is an agreement between the student or candidate and the YCMOU which is entered into by virtue of the candidate for admission clicking on '**ACCEPT**' button on the online admission portal at the time of admission to a program using online admission process. '

In this agreement the term "candidate" is used to mean the person who proposes to take admission to a program in YCMOU and the term "student" is used to mean a person who has been admitted to a program of the YCMOU after fulfilling all the conditions thereof.

The candidate undertakes that –

1. He has gone through the prospectus and the onscreen narrations or directions and has sincerely responded to the on-screen directions.
2. He has ensured that he is eligible to the program to which he proposes to take admission and that if it is found otherwise, (that is, if he is found not to be fulfilling the conditions of the eligibility at any time as per the rules mentioned in the prospectus or the on-line narrations) his admission will be summarily cancelled and the fees paid to the university will not be refunded in part or in full.
3. The information about the medium/mode of delivery of the Study Material (for example printed books, e-books, mobile app, audio/ video material available on internet or through CD/DVD, etc) has been duly studied by me in the relevant pages of the prospectus and I have no objection to the said mode of delivery. He shall not make any demands on the methods or medium of delivery other than that mentioned in the prospectus.
4. He shall make any representations to the YCMOU by logging on as a student in respect of any activities of grievances within a period of thirty days from the date of cause of the grievances or by an email to the university at the designated e-mail address.
5. He understands that the University reserves right to make changes in the rules or syllabi or learning material or any other policy matter as a matter of urgency and that such changes in the rules, syllabi or policy matters shall be binding and applicable on him and that he shall not make objections to such changes.
6. He shall not change his mobile number as registered with the University during the time of admission to the program.
7. He understands that the University shall levy charges on changes in profiles of the student, including the photograph, mobile number, date of birth, etc.
8. He understands that in case the University does not receive the fees from the Government (in case of Scholarship or Free-ship candidates), the student may be barred from taking examinations and his results shall not be declared till such time that the fees have been received.

9. He understands that any incorrect or incomplete information given by him is liable to cancellation of his admission or withdrawal of degree or diploma awarded to him as and when the university gets to know of such supply of incomplete or incorrect information.

10. He shall visit the University's website (ycmou.ac.in) regularly and undertake necessary steps for academic and administrative purposes as expected from him including downloading of the examination hall ticket and printing the same.

11. He shall undertake studies of the academic program with necessary industry, discipline, honesty and conduct himself with due dignity and shall do nothing which is unbecoming of a student of the YCMOU.

परिशिष्ट ०२ : गरीब छात्र सहायता योजना के लिए नियम

१. नाम : गरीब छात्र सहायता योजना

२. व्याप्ति

२.१ गरीब छात्र सहायता योजना लाभ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों को यह योजना एक वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम के लिए लागू होगी।

२.२ यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए लागू होगी।

३. पात्रता मानदंड

३.१ गरीब छात्र सहायता योजना अंतर्गत लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय रु. १,००,०००/- से अधिक न हो।

३.२ तहसीलदार का मूल आय-प्रमाणपत्र पिछले वित्तीय वर्ष का होना चाहिए।

३.३ इस योजना का लाभ पाने वाले छात्र को पिछले शैक्षणिक वर्ष की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

३.४ गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत जिन छात्रों ने इस योजना का लाभ लिया है, ऐसे छात्राओं को सभी विषयों में उत्तीर्ण में होना आवश्यक है।

३.५ जिन छात्रो ने इस योजना का लाभ लिया है, उन्हें उस शैक्षणिक वर्ष की पाठ्यक्रम को पूर्ण करना आवश्यक है, यदि छात्र पाठ्यक्रम को किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाया या उसका प्रवेश निरस्त हो जाता है। ऐसे स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई राशि और प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय को वापस करने की जिम्मेदारी संबंधित अध्ययन केंद्र / छात्र सहायता केंद्र तथा क्षेत्रीय केंद्र की रहेगी।

३.६ योजना का लाभ उन छात्रों को देय नहीं है जिन्होंने राज्य क सरकार अथवा केंद्र सरकार कीछात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

३.७ यह योजना रु. ३,०००/- से कम लागत वाले शिक्षाक्रम के लिए लागू नहीं है।

४. योजना के मानदंड

४.१ यदि छात्र शहरी क्षेत्र से है -	१ अंक
४.२ यदि छात्र ग्रामीण क्षेत्र से है -	२ अंक
४.३ यदि छात्र दूरुस्थ क्षेत्र से है -	३ अंक
४.४ यदिछात्र परियोजना प्रभावित है -	२ अंक
४.५ यदि खिलाडी है (विभागीय अथवा राज्यस्तरिय) -	४ अंक
४.६ आय सीमा रुपये ३५,०००/- तक -	३ अंक
४.७ आय सीमा रु. ७०,०००/- तक -	२ अंक
४.८ आय सीमा रु. १,००,०००/- तक -	१ अंक

५. देय राशि

५.१ इस योजना के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर और शिक्षा स्तर के लिए तय की गईलागत के आधार पर स्वीकार्य राशि का निर्धारण किया जाएगा।

५.२ पदविका (Diploma) पाठ्यक्रम रु. ३०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क इन में से जो भी कम हो।

५.३ उपाधि (Degree) पाठ्यक्रम है तो रू. ५०००/-या ट्यूशन शुल्क जो भी कम है वह।

५.४ स्नातकोत्तर (Diploma) पाठ्यक्रम रु. ५०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो।

५.५ स्नातकोत्तर डिग्री रू. ७०००/- अथवा पाठ्यक्रम शुल्क से जो भी कम हो।

५.६ गरीब छात्र सहायता निधि योजना के लिए बजेटीय प्रावधान उस शैक्षणिक वर्ष मे आरक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

५.७ देय राशि सारणी :

अ. क्र.	न्यूनतम अंक	देय राशी प्रमाण %	पदविका हेतू (Diploma) राशी	स्नातक/ स्नातकोत्तर पदविका हेतू राशी	स्नातकोत्तर उपाधि हेतू राशी
			३०००	५०००	७०००
१	०२	३०	९००	१५००	२१००
२	३ - ५	५०	१५००	२५००	३५००
३	६ से अधिक	१००	३०००	५०००	७०००

६. गरीब छात्र सहायता योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाँ

६.१ गरीब छात्र सहायता निधि योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन निर्धारित समय के भीतर छात्र सहायता केंद्र में जमा करना आवश्यक होगा।

६.२ छात्र सहायता केंद्र अथवा समन्वयक के लिए छात्र द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना अनिवार्य होगा।

६.३ आवेदक की शपथपत्र पर हस्ताक्षर और राष्ट्रीयकृत बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आय.एफ.एस.सी कोड आदि का जानकारी आवेदन पत्र के साथ देना आवश्यक है ।

६.४ पिछले वर्ष इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्र ने पिछले वर्ष की अंक तालिका की झेरॉक्स कॉपी/ छायाकिंत प्रत संलग्न की या नहीं,उन्होने पिछले वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की या नहीं, आदि छात्र सहायता केंद्र के प्रमुख को इसके जाँच करना है।

६.५ छात्र सहायता केंद्र के प्रमुखों ने छात्रों से निर्धारित अवधि में आवेदन पत्र भरवाकर क्षेत्रीय केंद्र परजमा करें। क्षेत्रीय केंद्रो ने सदर आवेदन पत्र की जानकारी सहायक कुलसचिव, पंजीकरण कक्ष में जमा करना आवश्यक है।

६.६ छात्र सहायता केंद्र द्वारा क्षेत्रीय केंद्र को प्रस्तुत आवेदन की जांच उपर्युक्त मानदंड के आधार क्षेत्रीय केंद्रों पर भेजना है।

६.७ विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारूप में जानकारी के साथ Excel Sheet में करके Hard Copy /Soft Copy में भी बनाए।

६.८ पात्र छात्रों की अंतिम सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी।

परिशिष्ट ०३ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (युजीसी) मान्यता पत्र (२००४)

ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जाफर मार्ग,
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002

F1-52/2000(CPP-II) 5 MAY 2004
The Registrar / Director
Of all the Indian Universities
(Deemed, State, Central Universities /
Institutions of National importance)

Subject: Recognition of Degrees awarded by Open Universities.

Sir/Madam,

There are a number of open Universities in the country offering various degrees/diploma through themode of non-formal education. **The Open Universities have been established in the country by anAct of Parliament or State Legislature in accordance with the provisions contained in Section2(f) of University Grants Commission Act, 1956. These universities are, therefore, empoweredto award degrees in terms of Section 22(1) of the UGC Act, 1956.**

A circular was earlier issued vide UGC letter N.F.1-8/92(CPP) dated February, 1992 mentioning thatthe Certificate, Diplomas and Degrees awarded by Indira Gandhi National Open University are to betreated equivalent to the corresponding awards of the Universities in the country.

Attention is further invited to UGC circular No.F1-25/93(CPP-II) dated 28th July, 1993 (copyenclosed) for recognition of degrees and diplomas as well as transfer of credit for courses successfullycompleted by students between the two types of universities so that the mobility of students fromOpen University stream to traditional Universities is ensured without any difficulty.

The UGC has specified the nomenclature of degrees under Section 22(3) of the UGC Act, 1956 toensure mandatory requirements viz. minimum essential academic inputs required for awarding suchdegrees. A copy of Gazette Notification regarding specification of degrees issued vide No.1-52/97(CPPII)dated 31st January 2004 is enclosed. The details are also given in UGC Website:www.ugc.ac.in

May, I therefore request you to treat the Degrees / Diploma / Certificates awarded by theOpen Universities in conformity with the UGC notification on Specification of Degrees asequivalent to the corresponding awards of the traditional Universities in the country.

Yours faithfully

(Dr. Mrs. Pankaj Mittal)
Joint Secretary.

Encl.: As Above
Copy to:

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education and Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
2. The Secretary, All Indian Council for Technical Education, I.G. Sports Complex, Indraprastha Estate, New Delhi
3. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg, New Delhi -110002.
4. The Secretary, National Council for Teacher Education, I.G. Stadium, I. P. Estate, New Delhi-110002.
5. The Director of Distance Education Council, IGNOU Campus, MaidanGarhi, New Delhi-110068.
6. The Vice-Chancellor, Indira Gandhi National Open University, MaidanGarhi, New Delhi-110068.
7. The Vice-Chancellor, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Road, No. 46, Jubilee Hills, Hyderabad (AP)

8. The Vice-Chancellor, Nalanda Open University, West Gandhi Maidan, Patna-800001 (Bihar)
9. The Vice-Chancellor, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Shahigaug, Ahmedabad-380003 (Gujarat)
10. The Vice-Chancellor, Karnataka State Open University, Manasagangotri, Mysore-570006 (Karnataka)
11. The Vice-Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422222 (Maharashtra)
12. The Vice-Chancellor, Kota Open University, Vardhaman Mahaveer Open University, Kota-324010 (Rajasthan)
13. The Vice-Chancellor, Netaji Subhash Open University, Kolkata-700020 (West Bengal)
14. The Vice-Chancellor, Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal-462016 (M.P.)

(V.K. Jaiswal)
Under Secretary

परिशिष्ट ०४ : मुक्त विश्वविद्यालय की उपाधि और पदाविका समकक्ष औ रसरकार मान्यता के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की सरकार निर्णय

मुक्त विद्यापीठाच्या पदव्यांना समकक्षता वशासनमान्यता

(१) अन्य विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्षता

मा. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य यांच्या पत्र क्र. समक (उ. शि.)/१०९४/३२८६१/मवि-१, दि. ३० ऑक्टोबर १९९५ च्या पत्रान्वये 'केंद्रीय किंवा राज्य विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेली पदवी/पदविका आणि संसदेने अधिनियमाद्वारे इतर शैक्षणिक संस्था प्रस्तावित केलेल्या आहेत किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम (१९५६) मधील कलम क्र. ३ अन्वये मानीव विद्यापीठे घोषित केली आहेत अशांच्या बाबतीत पदवी किंवा पदविका मान्यता देण्याबाबतचे औपचारिक आदेश विद्यापीठाने काढण्याची आवश्यकता नाही'.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने अधिनियमाद्वारे (कायदा क्र. २०/१९८९) स्थापन केलेले विद्यापीठ असून त्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाचीही मान्यता आहे.**त्यामुळे या विद्यापीठाची पदवी इतर विद्यापीठांच्या पदवीशी समकक्ष आहे.**

(२ (विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता

अनुदान आयोगाची मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे पत्र क्र. F/S-15/89 (CPP-I) दि. ८ डिसेंबर १९९२ नुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १९५६ च्या कायद्यातील कलम १२-बी अन्वये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठास मान्यता दिली आहे.

(३) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता

उपसचिव व परीक्षा नियंत्रक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या पत्र क्र. १४७७ (१७/१९९४/कक्ष)**दि. १७ फेब्रुवारी १९९४ च्या पत्रातील मान्यतेसंबंधीचा मजकूर - 'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ हे संविधिमान्य (Statutory) असल्यामुळे आपल्या विद्यापीठाच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांकडून आलेले अर्ज देखील इतर मान्यताप्राप्त विद्यापीठांच्या पदवीधर उमेदवारांकडून आलेल्या अर्जांप्रमाणेच आयोगाकडून विचारात घेतले जाती**

मुक्त विद्यापीठाच्या पदवी पदविकांना/ महाराष्ट्र शासन मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेलीविद्यापीठेराज्य सेवेतील पदासांठी पदवी/पदविकास मान्यता

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

शासन निर्णय : क्रमांक आरजीडी-१३९४/प्र.क्र. २१/९४/१३,मंत्रालय, मुंबई४०००३२, दिनांक ८ मार्च १९९५

वाचा : (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरजीडी-१०६१/१८९६७/११४ - जे दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९

शासन निर्णय :

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाशी विचार विनिमय करून उपरोक्त दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९ च्या आदेशाद्वारे असा निर्णय घेण्यात आला होता की, केंद्र अथवा राज्य विधिमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे स्थापित झालेली विद्यापीठे, संसदेच्या अधिनियमाद्वारे स्थापन झालेल्या इतर शैक्षणिक संस्था, किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ च्या अंतर्गत भाग ३ अन्वये जाहीर झालेली मानवी विद्यापीठे यांनी प्रदान केलेल्या पदव्या / पदविका तसेच भारतीय वैद्यकीय मंडळ अधिनियम, १९५६ च्या परिशिष्टांध्ये अंतर्भूत केलेल्या वैद्यकीय व संलग्न विषयामधील पदव्या यांना शासकीय महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदे वगळता, राज्यातील सेवा व पदांवरील भरतीसाठी आपोआप मान्यता प्राप्त झाली असल्याचे समजण्यात यावे.

(२) सदर आदेशासोबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या वैधानिक विद्यापीठे व संस्थांची यादी जोडण्यात आली होती. आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे व संस्था यांची अद्ययावत यादी आता या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आरजीडी - १०६१/१८९६७/ ९१४/जे दिनांक २१ ऑगस्ट १९६९ मध्ये नमूद केलेल्या आणि वर परिच्छेद १ मध्ये उद्धृत केलेल्या

हेतूसाठी सदर सर्व विद्यापीठे/संस्था यांनी प्रदान केलेल्या पदवी/पदविकांना आपोआप मान्यता देण्यात आल्याचे समजण्यात यावे.

महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

दा. र. राणे

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति, (१) राज्यपालांचे सचिव

(२) मुख्य मंत्र्यांचे सचिव

(३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई

(४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई

(५) महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, मुंबई

(६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई

(७) अभिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई

(८) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई

(९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई

(१०) प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई

(११) सर्व मंत्रालयीन शिक्षण

(१२) मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख

(१३) अवर सचिव, भारत सरकार, शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली

(१४) निवड नस्ती

वाचा:महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त शासन निर्णय : क्रमांक आर१३ मंत्रालय/९४/२१.क्र.प्र/१३९४ .डी.जी., मुंबईदिनांक ८ मार्च १९९५ च्यासोबत जोडलेल्या यादीमध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांची अनुक्रमांक १४६ वर नोंद करण्यात आलेलीआहे

परिशिष्ट ०५ : पुर्वतैयारी के बाद उपाधि प्राप्त करने के पश्चात१० वी/१२वी समकक्ष के संदर्भ में सरकार निर्णय

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक व
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांची
प्रमाणपत्रे शासनसेवेसाठी समकक्ष म्हणून विचारात घेण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : आरजीडी-1511/प्र.क्र.89/13,
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-400032
दिनांक : 20 मे, 2011.

वाचा:

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरजीडी-१३९८/प्र.क्र.६७/९८/१३, दिनांक १० डिसेंबर, १९९८.

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : आरजीडी-१३०५/प्र.क्र.२४/२००५/१३, दिनांक १२ डिसेंबर, २००६.

शासन निर्णय :

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून प्राप्त केलेली शैक्षणिक अर्हता शासकीय सेवेतील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत सर्वसाधारण सूचना निर्गमित करण्याचे निदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीयन्यायाधीकरण, मुंबई यांनी श्री. राजेंद्र घुणकीकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन (मूळअर्ज क्र. ६७०/२००८) वर दिले आहेत. त्यावर, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.

१. ''ज्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमात १० वी/१२ वी (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण असणे अशी किमान अर्हता विहित केलेली असेलत्या बाबतीत, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाची माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण नसलेला मात्र, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्तविद्यापीठाची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पदवी परीक्षेचे प्रथम वर्ष उत्तीर्ण झालेला वा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून पदवी धारण केलेलाउमेदवार पात्र समजण्यात यावा.''

२. बृहन्मुंबईतील लिपिक-टंकलेखक पदावरील नियुक्तीसाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेशनियमातील २ (इ) मध्ये ''महाराष्ट्र माध्यमिकव उच्च माध्यमिक मंडळाने नियंत्रित केलेली माध्यमिकशालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आणि या परीक्षेस समकक्ष घोषित केलेल्या इतर परीक्षा अंतर्भूतअसल्याचेनमूद केले आहे.'' तसेच, उमेदवारांकडे महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक आहे.राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयशिक्षण संस्थान, नवी दिल्ली या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्णकेलेल्या एका उमेदवाराने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडेदाखल केलेल्या प्रकरणात (मूळ अर्जक्रमांक २०४/२०१०) राज्य शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. केंद्रशासनाने कायद्यान्वये स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institution ofOpenSchooling,New Delhi) या विद्यालयाची माध्यमिक शालांत परीक्षा (किमान ५ विषयांसह) उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण विभागाने अकरावीप्रवेशासाठी पात्र ठरविले आहे. मात्र, शासन सेवेतील नियुक्तीसंदर्भात समकक्षतेबाबत कोणतेही आदेश नाहीत. केंद्रिय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाने सर्व राज्यांना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली (National Institution of Open Schooling,New Delhi)यांच्याकडून दिली जाणारी प्रमाणपत्रे उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी (Employment) ग्राह्य (समकक्ष) धरण्याबाबत कळविले आहे. ही बाबविचारात घेऊन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत माध्यमिक शालांत परीक्षेबाबतदिलेले प्रमाणपत्र, माध्यमिकशालांत परीक्षा अशी अर्हता असलेल्या पदांवर नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर, शासनानेघेतलेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भात खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.''राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था, नवी दिल्ली यांची (मराठी व इंग्रजीसह किमान ५ विषयांसह) शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व सदर प्रमाणपत्र(Secondary School ExaminationCertificate) धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी, राज्य शासन सेवेमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी माध्यमिकशालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अशी अर्हता विहित केली असेल त्या त्या ठिकाणी शासन सेवेसाठी शालांत परीक्षा समकक्ष पात्रता आपोआपधारण केली आहे असे समजण्यात यावे.''

३. त्यानुसार, सर्व नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. हे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येतील.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक२०११०५२०१३५१०४००१असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(बा. वि. निकम)
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

परिशिष्ट ०६ : एक से अधिक शिक्षाक्रम में प्रवेश हेतु दूरस्थ शिक्षा मंडल का मान्यता पत्र

DISTANCE EDUCATION COUNCIL
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

15983-16229

F.No.DEC/Notification/40.5.1.5/2012
Dated:01.11.2012

NOTIFICATION

Sub: Policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations - regarding.

The Distance Education Council in its 40th meeting held on 08.06.2012 has decided on the policy on pursuing two or more programmes simultaneously in various combinations. Two degree programmes cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue two programmes simultaneously through distance or combination of distance and regular modes from the same or different University(ies)/ Institution(s) in various combinations, viz.,

1. One Degree and one Diploma/Post Graduate Diploma/Certificate
2. One Post Graduate Diploma and one Diploma/Certificate
3. One Diploma and one Certificate
4. Two Post Graduate Diplomas
5. Two Diplomas
6. Two Certificates

This is for information and adherence by all concerned.

(DIRECTOR)

To

VCs of all SOUs/ Heads of DEIs

3. The Registrar
YCMOU
Dnynagangotri, Near Gangapur Dam
Nashik-422 222,
MAHARASHTRA

परिशिष्ट ०७ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (युजीसी) 12-B मान्यता पत्र

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110002.

NO. F.5-15/89 (OPP-I) December, 1992

The Secretary
Govt. of Maharashtra
Higher and Technical
Education and Employment Deptt.
Mantralaya Annexe
Bombay- 400032.

Sub : Recognition of Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, *Nashik for Central assistance under Section 12-B of the* UGC Act, 1956.

Sir,

With reference to the correspondence resting with your letter No. MOU/ 63003 (241/92) UNI dated 11th November, 1992 on the above subject, I am to say that the University Grants Commission has agreed to declare the Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University Nashik established under Maharashtra State Act No. XX of 1989, fit to receive Central assistance for all purposes including Institutional development in terms of the rules framed under Section 12-B of the UGC Act, 1956.

The receipt of the letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/xxx
(I J GUPTA)
JOINT SECRETARY

Copy to: -

1. The Vice - Chancellor, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik-422005.
2. Secretary to the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) New Delhi.
3. The Registrar, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi- 110068.
4. The Secretary, Association of Indian Universities, 16, Kotla Marg, New Delhi- 110002.
5. *Desk Officer (Meeting) / S.O.FD-III/S.O.SU-II/S.S.O.-I, Stat, U.G.C. New Delhi.*
6. All Officers /Sections, UGC New Delhi.

Sd/-
(D. D. Mehta)
SECTION OFFICER

परिशिष्ट ०८ : गरीब छात्र सहायता योजना नियम

- **छात्र सहायता:** अल्प उत्पन्न घटक के कमजोर होशियार या प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा छात्र सहायता योजना शुरू की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 15 लाख रुपये का प्रावधानकी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रवेशित पाठ्यक्रम के शुल्क में छुट दी जाती है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने एक निर्धारित मॉडल विकसित किया है, इस योजना के तहत पात्र छात्रों को प्रवेश शुल्क मे छूट दी जाती है।

- **छात्र कल्याण योजना :**छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए प्रत्येक वर्ष खेल और युवा उत्सव आयोजित की जाती है। अंतरविश्वविद्यालयीन महोत्सव में भी मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को सहभागिता होने का अवसर प्रदान किया जाता है।

- **खेल महोत्सव :**विश्वविद्यालय के छात्रों को खेल के मैदान उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्रों और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं की आयोजन की जाती है। इससें छात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें और माननीय राज्यपाल कार्यालय द्वारा आयोजित आंतरविश्वविद्यालय अश्वमेध एवं ए. आई. यू. खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले सकें।

- **युवा उत्सव:**विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर युवा उत्सव शुरू किए है ताकि विश्वविद्यालय के कलात्मक छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसमें वक्तृत्व प्रतियोगिताएँ, एकांकी, नृत्य संगीत, गायन जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल है। मा. राज्यपाल कार्यालय द्वारा आयोजित इंद्रधनुष और ए. आय. यु.(भारतीय विश्वविद्यालय संघ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव में छात्र भाग ले सकते है।

- **अविष्कार शोध महोत्सव:**विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के बीच अनुसंधान प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मा. राज्यपाल कार्यालय के ओर से प्रत्येक वर्ष, वार्षिक अविष्कार एवंअनुसंधान प्रतियोगिता का आयोजित की जाती है। इस अंतरविश्वविद्यालय अनुसंधान उत्सव में मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों भी सहभागी हो सकते हैं।

- **संवाद पत्रिका**: मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने केसाथ संपर्क स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय मासिक रूप में संवाद पत्रिका प्रकाशित करती हैं। पत्रिका के माध्यम से छात्रों के लिए उपयोगी सुचना, अलेख, सुझाव शामिल है। संवाद पत्रिका का उद्देश्य यह कि छात्रों को दूरुस्थ शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। संवाद पत्रिका विश्वविद्यालय की वेबसाईटपर सॉफ्ट काफी में उपलब्ध है।

- **राष्ट्रीय सेवा योजना :** पारंपारिक विश्वविद्यालय की तरह मुक्त विश्वविद्यालय ने भी राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत १५००छात्रों का चयन किया जाता है।

- **शिक्षाक्रम शुल्क में छुट**
  आत्महत्या किए किसान के बच्चे,अंध और तृतीयपंथीय छात्रों को रु. २००/- नाममात्रशिक्षाक्रम शुल्क होगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के नियमित वेतनमान कार्यरतकर्मचारी और उनके परिजनों को (स्वयं की पत्नी/ पति, दो से अधिक आश्रित बच्चे नहीं होने चाहिए।) इन्हें शिक्षाक्रम शुल्क में विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार छुट दी जाएगी।

परिशिष्ट ०९ : अनिवार्य ऑडीट कोर्स - सायबर सुरक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
नॅक मानांकित 'अ' श्रेणी
ज्ञानगंगोत्री, गंगापूर धरणाजवळ, गोवर्धन
नाशिक – ४२२ २२२ (महाराष्ट्र) भारत

Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University, Nashik
NAAC Accredited 'A' Grade
Dnyangangotri, Near Gangapur Dam, Govardhan
Nashik - 422 222 (Maharashtra) India

संकेतस्थळ Website : •www.ycmou.ac.in •https://ycmou.digitaluniversity.ac
ई-मेल E-mail : dir_sol@ycmou.ac.in दूरध्वनी Telephone : (0253) 2230191

ऑनलाईन शिक्षण विद्याशाखा / School of Online Learning

SOL/2024/386 दि.:१८.१२.२०२४

सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रम (अनिवार्य ऑडीट कोर्स)

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सायबर सुरक्षा हा अनिवार्य अभ्यासक्रम लागू केला आहे.

अभ्यासक्रमाची संरचना : सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रम हा एक ऑडीट कोर्स असून त्यासाठी श्रेयांक नसले तरी पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील शिक्षणक्रमांना अनिवार्य करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम MOOC (Massive Open Online Course) Yashex या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर (https://yashex.mkcl.org/#/) मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांनी मूळ शिक्षणक्रम पूर्ण करण्यापूर्वी सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केल्यानंतर त्याचे स्वतंत्र प्रमाणपत्र देण्यात येईल. **सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूळशिक्षणक्रमाचे प्रमाणपत्र मिळेल. (प्रमाणपत्र व पदविका शिक्षणक्रमांना हा अभ्यासक्रम लागू नाही.)**

कालावधी : सायबर सुरक्षा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी पदवी स्तरावरील शिक्षणक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता ०३ वर्ष तर पदवी शिक्षणक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता ०२ वर्ष कालावधी तसेच एक वर्ष शिक्षणक्रम कालावधी असणाऱ्या शिक्षणक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम ०१ वर्षात पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पदव्युत्तर पदवीस्तरावरील शिक्षणक्रमांच्या विद्यार्थ्यांकरिता हा अभ्यासक्रमपूर्ण करण्यासाठी०२ वर्षाचा कालावधी असेल.

शुल्क : रु. ५००/- विद्यार्थ्याने एकदा शुल्क भरल्यानंतर उत्तीर्ण होईपर्यंत सदर शुल्क पुन्हा अदा करण्याची आवश्यकता नाही. **(सदरचे शुल्क प्रवेश घेतलेल्या मूळ शिक्षणक्रमाच्या व्यतिरिक्त असेल.)**

नोंदणी : खालील लिंकद्वारे YCMOU Student मोबाईल ॲप डाउनलोड करून आवश्यक माहिती भरून अभ्यासक्रमाचे शुल्क अदा करावे.

SR.No.	Mobile OS	Mobile App Link
1.	Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mkcl.ycmoudu
2.	iOS	https://apps.apple.com/in/app/ycmou-student/id6475083272

अध्ययन पद्धती : YCMOU Student मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाईन उपलब्ध असलेले अध्ययन साहित्य आणि दृकश्राव्य व्याख्यानांच्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांनी आपल्या सोयीप्रमाणे स्वयं-अध्ययन पद्धतीने अभ्यासक्रम पूर्ण करावा.

मूल्यमापन: अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर Yashex या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे ऑनलाईन परीक्षा द्यावी.

परीक्षेचेस्वरूप: ऑनलाईन– बहुपर्यायी प्रश्न [Multiple Choice Question (MCQ)]

प्रा. माधव पळशीकर **मानद प्रा. कविता साळुंके**

परिशिष्ट १० : सायबर सुरक्षा पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

D.O.No.F.1-42/2022(e.Gov) **17th October, 2022**

Subject: Regarding the implementation of Syllabus of Cyber Security Course at Undergraduate and Post Graduate level.

Respected Madam/Sir,

On the occasion of Cyber Jaagrookta Diwas, 06th October, 2022, the University Grants Commission (UGC) launched the Syllabus of Cyber Security Course at Undergraduate and Post Graduate levels **(https://www.ugc.ac.in/e-book/Cyber_Security/mobile/index.html).**

The syllabus aims to create more aware, responsive and responsible digital citizens, thereby contributing effectively to an overall healthy cyber security posture and ecosystem.

In view of the importance of cyber security and for propagating cyber hygiene amongst HEIs, you are requested to take necessary steps for implementation of the Syllabus of Cyber Security Course at Undergraduate and Post Graduate level in all the streams of your esteemed University and also in the affiliated/constituent Colleges.

With kind regards.

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

To

- **The Vice-Chancellors of all Universities**
- **The Principals of all Colleges**

परिशिष्ट ११: शिक्षाक्रम – समय सारणी - २०२५ (Program Schedule- January 2025)*

अ. क्र.	विवरण	सत्र	
अ	**प्रवेश प्रक्रियाँ**		
०१	ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाँ शुरू	१५ जनवरी २०२५	
०२	ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाँ समाप्त	१५ फरवरी २०२५	
ब.	**शिक्षा अर्जित करना या सीखना और मूल्यांकन**		
०३	उद्बोधन कार्यक्रम	फरवरी २०२५	
०४	स्वयं अध्ययन सामग्री भेजना/ सामग्री वितरण करना	फरवरी २०२५	
०५	परामर्श/ चर्चा सत्र	**शीतकालीन सत्र/ पहला और तीसरा सेमिस्टर**	**ग्रीष्मकालीन सत्र/ दूसरा और चौथा सेमिस्टर**
		फरवरी २०२५ से अप्रैल २०२५	अगस्त २०२५ से नवंबर २०२५
०६	गृहकार्य का प्रश्न अपलोड करना	मार्च २०२५	अगस्त २०२५
०७	गृहकार्य जमा करना	**शीतकालीन सत्र/ पहला और तीसरा सेमिस्टर**	**ग्रीष्मकालीन सत्र/ दूसरा और चौथा सेमिस्टर**
		अप्रैल २०२५ का पहला सप्ताह	दिसंबर २०२५ का पहला सप्ताह
क.	**परीक्षा प्रक्रियाँ**		
०८	परीक्षा आवेदन जमा करना	**शीतकालीन सत्र / पहला और तीसरा सेमिस्टर**	**ग्रीष्मकालीन सत्र / दूसरा और चौथा सेमिस्टर**
		मार्च २०२५ का पहला सप्ताह	अक्तूबर २०२५ का पहला सप्ताह
०९	प्रैक्टिकल परीक्षा/ मौखिक	अप्रैल २०२५	नवंबर २०२५
१०	क्षेत्रीय परियोजना/ शोध परियोजना रिपोर्ट जमा करना प्रस्तुति/ मौखिकी	---	
		शीतकालीन परीक्षा - नवंबर/ दिसंबर २०२५	
११	**ग्रीष्मकालीन परीक्षा का प्रारंभ**	मई २०२५का पहला सप्ताह	
१२	परीक्षा की अंतिम तिथि से ४५ दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी		
१३	शीतकालीन परीक्षा का प्रारंभ	दिसंबर २०२५/ जनवरी २०२६ का पहला सप्ताह	
१४	परीक्षा की अंतिम तिथि से ४५ दिनों के भीतर परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी		
१५	वार्षिक दीक्षांत समारोह	जनवरी २०२६	

** विश्वविद्यालय द्वारा /सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का दिशानिर्देश/ निर्देश के अनुसार इस कार्यक्रम के संबध में समय –समय पर जानकारी और समय में बदलाव किया जा सकता है.*